

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 021



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	53
दिनांक	:	12-07-2018
समय	:	अपराहन 3:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 12-07-2018 को अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 53वीं

बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो. के.एन. सिंह, अध्यक्ष
कुलपति,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2. डॉ. ओम जी गुप्ता, सदस्य
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
3. डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, सदस्य
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
4. डॉ. आर.पी.एस. यादव, सदस्य
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
5. डॉ. आशुतोष गुप्ता, सदस्य
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
6. प्रो. पी.के. पाण्डेय, सदस्य
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
7. प्रो. सुधाँशु त्रिपाठी, सदस्य
समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
8. डॉ. संतोषा कुमार, सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
9. डॉ. विनोद कुमार गुप्ता, सदस्य
उपा निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
10. श्री सुनील कुमार, सदस्य
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
11. डॉ. साधना श्रीवास्तव, सदस्य
असिस्टेंट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

12. डॉ. टी.एन. दुबे,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
13. प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा/कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विशेष आमंत्रित सदस्य

सदस्य-सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (1) प्रो. राजेन्द्र प्रसाद,
कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (2) डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा
- (3) प्रो. के.एस. मिश्र,
डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (4) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
- (5) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 24-04-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 24-04-2018 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक '1 पृष्ठ संख्या 32-62 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 24-04-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 24-04-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक में दिनांक 24-04-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

51.01	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 18-03-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
51.02	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 18-03-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
51.03	दिनांक 28-10-2017 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक (आपातकालीन) की कार्यवृत्त पर विचार		
1.	विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने पर विचार	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

<p>3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनांक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होना।</p>	<p>योजना बोर्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनांक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।</p>	<p>दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
<p>4. विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरुष बाथरूम बनाये जाने से अवगत होना।</p>	<p>योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरुष बाथरूम बनाये जाने से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।</p>	<p>दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
<p>5. विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत होना।</p>	<p>योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।</p>	<p>दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
<p>6. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन</p>	<p>योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन स्थित से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।</p>	<p>दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

	स्थित से अवगत होना।		
7.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8.	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
9.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
10.	विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही की जा रही है।
11.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने से	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही

	तल पर स्थानान्तरित किये जाने से अवगत होना।	अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	अपेक्षित नहीं है।
(4)	दिनांक 25-01-2018 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक (आपातकालीन) की कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्युनिटी सेण्टर के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने यमुना परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीस्टोरी कम्युनिटी सेण्टर का निर्माण जिसमें कम्युनिटी सेण्टर के बेसमेण्ट में पार्किंग की व्यवस्था, प्रथम तल में अतिथि गृह एवं भूतल में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों हेतु बड़े कक्ष/हाल एवं स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया। योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस कम्युनिटी सेण्टर का सदुपयोग विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भी किया जायेगा। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
2.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

3.	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि०ली० क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि०ली० क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
4.	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
5.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
6.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7.	विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष में योग मशीन जैसे ट्रेडमिल, साइकिल, पर्दे, शीशा एवं फिटनेस से सम्बन्धित अन्य उपकरण लगाये जाने व सर्वर	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार

	अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8.	विश्वविद्यालय के गंगा एवं सरस्वती परिसर में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर एवं सरस्वती परिसर में वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु अण्डरग्राउण्ड पार्किंग जिसमें बेसमेण्ट में चार पहिया वाहन तथा भूतल पर दो पहिया वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
9.	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में पावर सप्लाय मीटर रूम, ट्रांसफारमर पैड के निर्माण, विद्युत केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में पावर सप्लाय मीटर रूम, ट्रांसफारमर पैड के निर्माण, विद्युत केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त कार्य सम्बन्धित विद्युत विभाग से सम्पर्क कर कराया जाय। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(5)	दिनांक 06-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 06-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./365/2018 दिनांक 02-06-2018 द्वारा निदेशक, मानविकी विद्या शाखा को पत्र

			प्रेषित किया जा चुका है।
(6)	दिनांक 28-03-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 28-03-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./366/2018 दिनांक 02-06-2018 द्वारा निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(7)	दिनांक 28-03-2018 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 28-03-2018 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./367/2018 दिनांक 02-06-2018 द्वारा निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(8)	दिनांक 20-04-2018 को व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 20-04-2018 को व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./368/2018 दिनांक 02-06-2018 द्वारा निदेशक, व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान

			विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(9)	दिनांक 26-03-2018 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 26-03-2018 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./364/2018 दिनांक 02-06-2018 द्वारा निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(10)	ऐसे कार्यक्रम जिसमें विगत 03 वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या 0 से 10 तक है, कतिपय कार्यक्रमों के संचालन को सत्र 2018-19 से स्थागित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	विद्या परिषद् ने ऐसे कार्यक्रम जिसमें विगत 03 वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या 0 से 10 तक है, कतिपय कार्यक्रमों के संचालन को सत्र 2018-19 से स्थागित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सिद्धान्तः स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./237/2018 दिनांक 16-05-2018 द्वारा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(11)	दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जनवरी सत्र के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार	विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जनवरी सत्र के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./333/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया

			जा चुका है।
(12)	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों से पुनः पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों से पुनः पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./328/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(13)	"एकल विषय में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र कार्यक्रम" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार	विद्या परिषद् ने "एकल विषय में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र कार्यक्रम" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./326/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा/प्रभारी प्रवेश अनुभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(14)	दिनांक 03-04-2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त पर विचार		
1.	विगत वर्ष के छूटे हुए प्रश्न-पत्र के अंक (अधिन्यास एवं सत्रांत परीक्षा) हेतु कमेटी का गठन कर Average अंक प्रदान कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एक समिति का गठन किया जाय जिसमें समिति के सदस्य डॉ० पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, डॉ० आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा एवं डॉ० आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा होंगे। समिति की अनुशंसा पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाय। इस प्रकार के प्रकरण हेतु प्रत्येक शनिवार को गठित समिति की बैठक कराई जाय तथा समिति की संस्तुति के आधार पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाय व प्रमाण सुरक्षित रखा	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./334/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया

		जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	जा चुका है।
2.	परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कराने हेतु क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ व कानपुर को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्रांत परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झाँसी, आगरा, बरेली व मेरठ को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाय तथा क्षेत्रीय निदेशकों की देखरेख में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराया जाय। किसी भी क्षेत्रीय मूल्यांकन केन्द्र हेतु पर्यवेक्षक एवं नोडल प्रभारी की नियुक्ति मा० कुलपति जी के स्तर से की जायेगी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./334/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
3.	कार्यक्रम अनुसार पूर्व की भांति UG प्रथम, द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर वाइज एवं PG प्रथम व सेमेस्टर वाइज की अंकतालिका शिक्षार्थियों को ₹0 200/- शुल्क लेने के पश्चात उपलब्ध कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थियों की मांग पर ₹0. 200/- प्रति अंकपत्र शुल्क प्राप्त होने की स्थिति में कार्यक्रमानुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष की अंकतालिका निर्गत कर दी जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./336/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
4.	बी०एड० व विशिष्ट बी० एड० का एक ही अधिन्यास प्रश्न-पत्र बनवाने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा समिति की अनुशंसा एवं परीक्षा परीणाम की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विद्या शाखा को इस आशय का पत्र कुलसचिव जी के माध्यम से प्रेषित किया जाय कि अन्य कार्यक्रमों के समान ही B.Ed एवं B.Ed (SE) कार्यक्रमों में भी एक ही अधिन्यास प्रश्न-पत्र बनाया जाना उपयुक्त होगा। विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि पूर्ववत व्यवस्था यथावत रखी जाय।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./331/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया

			जा चुका है।
5.	जून-2010 से दिसम्बर-2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रु 9,30,000/- में विक्रय कर दिया गया है। इसकी सूचना प्रशासन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है।	प्रशासन अनुभाग की सूचना अनुसार जून-2010 से दिसम्बर-2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रु 9,30,000/- में विक्रय कर दिये जाने से परीक्षा समिति अवगत हुई। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
6.	सत्रांत परीक्षा जून-2017 परीक्षा केन्द्र एस-833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के परीक्षार्थियों का परिणाम उपस्थिति पत्रक में जिन शिक्षार्थियों के हस्ताक्षर थे घोषित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार एस-806 (गुरु फूलचन्द पी जी. कॉलेज, गाजीपुर) के शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी घोषित कर दिया गया है।	सत्रांत परीक्षा जून-2017 परीक्षा केन्द्र एस-833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) एवं एस-806 (गुरु फूलचन्द पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर) के जिन परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर उपस्थिति पत्रक में था उनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जाने से परीक्षा समिति अवगत हुई। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7.	सत्रांत परीक्षा जून-2017 परीक्षा केन्द्र एस-833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के ऐसे शिक्षार्थी जिनके परीक्षा परिणाम रोके गये हैं उनके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऐसे शिक्षार्थियों के सभी प्रश्न-पत्रों की परीक्षा निरस्त की जाय या जिन प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध है परन्तु उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं हैं उनके परीक्षा परिणाम रोके जाने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इसकी सूचना अध्ययन केन्द्र के पैलन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर upload कराया जाय तथा जिस प्रश्नपत्र के उपस्थिति पत्रक में परीक्षार्थियों की उपस्थिति नहीं है उस प्रश्नपत्र का परीक्षा परिणाम निरस्त करते हुए शेष को घोषित कर दिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./337/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
8.	जुलाई-2018 सत्र में स्नातक एवं परास्नातक के कार्यक्रम में प्रवेशित सभी वर्ष के शिक्षार्थियों को नान क्रेडिट कार्यक्रमों की परीक्षा तथा ऐसे कार्यक्रम जिसमें छात्र संख्या 500 से अधिक होगी उनकी भी परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर कराई जायेगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नान क्रेडिट कार्यक्रमों तथा योगा कार्यक्रम के दो प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर जनवरी-2018 सत्र से ही कराई जायेगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे इसकी सूचना विश्वविद्यालय के website पर भी upload किया जाय। विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि नान क्रेडिट कार्यक्रमों तथा योगा कार्यक्रम के दो प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर जनवरी-2018 सत्र से ही कराई	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./338/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा

		जाय। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 70 अंक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे इसकी सूचना विश्वविद्यालय के website पर भी upload किया जाय।	नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
9.	दिसम्बर-2018 सत्र की परीक्षा से OMR आधारित उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से दिसम्बर-2018 सत्र की परीक्षा से OMR आधारित उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./339/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
10	राज्य सरकार के निर्देश एवं विश्वविद्यालय मानक के आलोक में जून-2018 सत्र हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर निर्धारित किया जायेगा।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जताई। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./340/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
11.	पूर्व सत्रों के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जो कतिपय कारणों से अपूर्ण थे परन्तु वे वर्तमान में पूर्ण हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें किस सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान की जाय।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षार्थी द्वारा जिस सत्रांत (Term End) में परीक्षा दी गई है उसी सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./341/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया

			जा चुका है।
12.	विश्वविद्यालय में कर्मचारी कल्याण निधि (Employee Welfare Fund) शुरू करने के सम्बन्ध में कुलसचिव जी द्वारा चर्चा की गई तथा प्रस्ताव दिया गया कि अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये परामर्श देयक के भुगतान में से 3 प्रतिशत (3%) कटौती करते हुए धनराशि कर्मचारी कल्याण निधि (Employee Welfare Fund) में जमा किया जाय।	समिति ने मा० कुलपति जी के सहमति के आधार पर निर्णय लिया कि इसकी सम्पूर्ण कार्यवाही कुलसचिव के माध्यम से पूर्ण कराई जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./342/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा वित्त अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(15)	विश्वविद्यालय के नवीन क्षेत्रीय केन्द्र फैजाबाद हेतु 02 डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) रखे जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के नवीन क्षेत्रीय केन्द्र फैजाबाद हेतु 02 डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) रखे जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों पर भी डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) नियुक्त किया जाय।	विश्वविद्यालय के नवीन क्षेत्रीय केन्द्र फैजाबाद हेतु 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) रखा जा चुका है।
(16)	विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक संवर्ग के पदों का विद्या शाखावार/विषयवार पुर्नवर्गीकरण किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक संवर्ग के पदों का विद्या शाखावार/विषयवार पुर्नवर्गीकरण किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं
(17)	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को छात्र संख्या के अभाव में स्थगित किये जाने तथा पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने हेतु शुल्क लेने के सन्दर्भ में अध्ययन केन्द्र को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने हेतु शुल्क लेने के सन्दर्भ में अध्ययन केन्द्र	विद्या परिषद् ने पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को छात्र संख्या के अभाव में स्थगित किये जाने तथा पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने हेतु शुल्क लेने के सन्दर्भ में अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./238/2018 दिनांक 16-05-2018 द्वारा प्रभारी, अध्ययन केन्द्र को पत्र प्रेषित

	स्थापना हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।		किया जा चुका है।
(18)	दिनांक 21-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 21-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./327/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा निदेशक, मानविकी विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.03

विद्या परिषद् की पिछली (आपातकालीन) बैठक दिनांक 06-06-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 06-06-2018 को सम्पन्न विद्या परिषद् की (आपातकालीन) बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या ~~63-84~~ पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली (आपातकालीन) बैठक दिनांक 06-06-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.04

विद्या परिषद् की पिछली (आपातकालीन) बैठक दिनांक 06-06-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली (आपातकालीन) बैठक में दिनांक 06-06-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

52.01	दिनांक 04-06-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 04-06-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./756/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
52.02	दिनांक 05-06-2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न (आपातकालीन) बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	सत्रांत परीक्षा की तैयारी हेतु ऐसे कर्मचारी जो कार्यालय अवधि के बाद एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय आ कर कार्य करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः उचित होगा कि ऐसे कर्मचारियों के लिये प्रतिकर की अवधि बढ़ा कर तीन माह कर दी जाय या अन्य राज्य विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों के लिये जो पारिश्रमिक का प्रावधान हो, उसे लागू कर लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु कुलसचिव द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाय। परीक्षा समिति के सदस्य डॉ० ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा संयोजक तथा डॉ० पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा एवं डॉ० आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा कमेटी के सदस्य होंगे। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./744/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
2.	परीक्षा विभाग द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु रू० 500/- एवं 300/- का शुल्क निर्धारित किया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क रू० 500/- एवं 300/- से अवगत होते हुए सहमति व्यक्त की गई। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	सत्र 2016 के पूर्व से छूटे हुए	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाफल घोषित होने से तीन वर्ष पूर्व के प्रकरणों	दिनांक 07-06-2018 को

	प्रश्न-पत्र के अंक को अंकपत्र में अंकित करवाने वाले प्रकरण हेतु प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/- निर्धारित करने पर विचार।	पर प्रति आवेदन प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/- लिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./743/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
4.	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रू 2/- प्रति कॉपी न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/- पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किये गए कर्मचारियों (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) को मूल्यांकन कार्य हेतु एक उचित पारिश्रमिक रू 2/- प्रति कॉपी, न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/- अलग से निर्धारित करने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./752/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
5.	उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित नोडल प्रभारी हेतु देय मानदेय 10,000 से कम उत्तर पुस्तिकायें होने पर न्यूनतम रू0 5,000/- तथा 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकायें होने पर अधिकतम रू0 10,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।		दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./753/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराने हेतु नोडल प्रभारी का मानदेय निर्धारित करने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नानुसार संस्तुति की :-

कॉपी संख्या	मानदेय
25,000 तक	रु0 05,000 /-
25,001 से 50,000 तक	रु0 10,000 /-
50,000 से अधिक	रु0 15,000 /- यदि नोडल प्रभारी द्वारा सहायक नोडल प्रभारी नियुक्त किया जाता है तो मानदेय का वितरण 60% एवं 40% के अनुपात में किया जाय।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6.	परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के सापेक्ष अनुचित साधन प्रयोग (UFM) से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है सूचनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में आरोपित 11 परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में UFM कमेटी के निर्णय की पुष्टि की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./751/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
7.	परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों के घोषित परीक्षाफल की सूचना से अवगत हुई। विद्या परिषद् दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों (बी.एड. एवं बी.एड. विशिष्ट शिक्षा को छोड़कर) के घोषित परीक्षाफल की सूचना से अवगत हुई। विद्या परिषद् ने जिन केन्द्रों पर 400 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं उन केन्द्रों का परीक्षाफल पूर्णतः घोषित किए जाने का निर्णय लिया। कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./750/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

8.	सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट से सम्बन्धित शुल्क लिये जाने के प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा नियंत्रक प्रकरण पर मा. कुलपति जी के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./749/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
9.	परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने का प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने पर सहमति व्यक्त की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./748/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
10.	परीक्षा जून-2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित नहीं की जा रही हैं। संज्ञानार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के विन्दु संख्या 16. 11 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष परीक्षा जून-2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित न किये जाने की सूचना से परीक्षा समिति अवगत हुई। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

52.03	दिनांक 06-06-2018 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 28-10-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 28-10-2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
3.	योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 25-01-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
4.	योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 25-01-2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
5.	योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 15-03-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
6.	योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 15-03-2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
7.	उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द्र की आवश्यकता एवं	योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द्र की आवश्यकता एवं	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की

	संस्थापना पर विचार।	संस्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8.	इस विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने इस विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9.	अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2018 की अनुशंसा पर विचार।	योजना बोर्ड ने अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2018 की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./746/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा डॉ. पी. पी.दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
10.	कार्यदायी संस्था, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये उपभोग प्रमाण पत्र एवं उनके पत्र संख्या 359/निर्माण 36/7 दिनांक 27-02-2018 के आलोक में समयान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध के अनुसार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया।	योजना बोर्ड ने कार्यदायी संस्था, सी.एण्ड डी. एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये उपभोग प्रमाण पत्र एवं उनके पत्र संख्या 359/निर्माण 36/7 दिनांक 27-02-2018 के आलोक में समयान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध के अनुसार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।

	359/निर्माण 36/7 दिनांक 27-02-2018 के आलोक में समयान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध के अनुसार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
11.	दिनांक 31-05-2018 को उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	योजना बोर्ड ने दिनांक 31-05-2018 को उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./747/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
12.	विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहाँ कम्प्यूटर, स्कैनर, इण्टरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 50/- में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05-06-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहाँ कम्प्यूटर, स्कैनर, इण्टरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 50/- में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05-06-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर पंजीकृत शिक्षार्थियों के प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 100/- क्षेत्रीय केन्द्र के खाते में जमा किया जाय एवं व्यय का	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./754/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

		समायोजन क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	
13.	क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उपलब्ध कृषकों के भूमि को खरीदे जाने के सम्बन्ध में भूमि की बाजार दर अथवा जो भी दर नियमानुकूल हो उस दर को सत्यापित कराने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र प्रेषित किये जाने से अवगत होना। योजना बोर्ड क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उपलब्ध कृषकों के भूमि को खरीदे जाने के सम्बन्ध में भूमि की बाजार दर अथवा जो भी दर नियमानुकूल हो उस दर को सत्यापित कराने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र प्रेषित किये जाने से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
14.	विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के तृतीय तल पर DORMITORY के निर्माण कराए जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में आगन्तुकों/उनके साथ आने वाले स्टाफ इत्यादि के रुकने की आवश्यकता के दृष्टिगत अतिथि गृह के तृतीय तल DORMITORY के निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया। योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि DORMITORY के निर्माण हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
15.	विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस वाहन क्रय	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की

	प्लस वाहन क्रय किये जाने पर विचार।	किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
16.	उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर-4-2018(4)/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सरस्वती परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हॉल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन द्वितीय तल के स्वीकृत मानचित्रों के टायलेट ब्लॉक में आंशिक संशोधन पर विचार।	योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर-4-2018 (4)/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सरस्वती परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हॉल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन द्वितीय तल के स्वीकृत मानचित्रों के टायलेट ब्लॉक में आंशिक संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार की जानी है।
52.04	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को प्रवेश हेतु आधार क्रमांक अनिवार्य न किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को प्रवेश हेतु आधार क्रमांक सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./745/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा प्रभारी, प्रवेश को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.05

दिनांक 10-07-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 10-07-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या 05 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 10-07-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.06

दिनांक 09-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 09-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या 06-00 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 09-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.07

दिनांक 06-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 06-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 05 पृष्ठ संख्या 09-97 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 06-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.08

दिनांक 09-07-2018 को शिक्षा विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 09-07-2018 को शिक्षा विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 06 पृष्ठ संख्या ~~98-99~~ पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 09-07-2018 को शिक्षा विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया साथ ही विद्या परिषद् ने अधिन्यास सम्बन्धी प्रस्ताव को जून 2018 परीक्षा के सापेक्ष लागू किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.09

दिनांक 12-07-2018 को परीक्षा समिति की होने वाली बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की संस्तुति की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. निम्नवत् वर्णित वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)

वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम (Elective Foundation Course)

पेपर नं0	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का नाम/ Title of the Course	क्रेडिट
001	UGFHS (यू.जी.एफ.एच.एस.)	मानविकी एवं समाज विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम Foundation course in Humanities and Social Science	4
002	UGFST	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम	4

	(यू.जी.एफ.एस.टी.)	Foundation Course in Science and Technology	
004	UGFEG (यू.जी.एफ.ई.जी.)	अंग्रेजी में आधार पाठ्यक्रम Foundation Course in English	4
005	UGFHD (यू.जी.एफ.एच.डी.)	हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम Foundation Course in Hindi	4
006	AOCED (ए.ओ.सी.ई.डी.)	निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण Export Procedure and Documentation	4
007	AOCHE (ए.ओ.सी.एच.ई.)	मनव पर्यावरण में आधार पाठ्यक्रम Application Oriented Course in Human Environment	4
008	AOCMK (ए.ओ.सी.एम.के.)	विपणन Marketing	4
009	AOCNC (ए.ओ.सी.एन.सी.)	समुदाय और पोषण में आधार पाठ्यक्रम Application Oriented Course in Nutrition for the Community	4
270	SWM (एस.डब्लू.एम.)	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन Solid waste Management	4
010	AOCOM (ए.ओ.सी.ओ.एम.)	कार्यालय संगठन एवं प्रबन्धन Office Organization and Mngement	4
011	AOCSP (ए.ओ.सी.एस.पी.)	सचिवीय कार्यपद्धति Secretarial Practice	8
2501	DM (डी.एम.)	आपदा प्रबन्ध में आधार पाठ्यक्रम Foundation Course in Disaster Management	4

परीक्षा समिति द्वारा वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

- 3 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के कतिपय प्रश्न पत्र समान पाठ्यक्रम पर संचालित है। वर्तमान में उनके लिए एक ही प्रश्न पत्र का निर्माण कराया जाता है। ऐसा करने से परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं। अतः ऐसे समान प्रश्न पत्रों का निर्माण भी अलग-अलग कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि समान पाठ्यक्रम वाले विभिन्न कार्यक्रमों के प्रश्न पत्रों का निर्माण अलग-अलग कराया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. योग में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी. जी. डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाएँ प्रशिक्षण पर आधारित हो और शिक्षार्थी को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर ग्रेडिंग के माध्यम से अंक प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर भी विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

योग कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि

योग में प्रमाण पत्र कार्यक्रम हेतु 4 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम

योग में डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम

योग में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थी की सुविधानुसार संख्या एवं अभिगम्यता के आधार पर प्रशिक्षण व मूल्यांकन प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाय। प्रशिक्षण का कार्यक्रम दो सत्र (दो घण्टे) का होगा। प्रथम सत्र में शारीरिक प्रशिक्षण जैसे प्राणायाम, व्यायाम, आसन इत्यादि तथा द्वितीय सत्र बौद्धिक प्रशिक्षण जो व्याख्यान पर आधारित होगा। बौद्धिक प्रशिक्षण के लिये 45 मिनट का समय निर्धारित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. परीक्षा की गोपनीयता, सुचिता एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये आगामी परीक्षा से सीली हुई एवं क्रमांक युक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी संत्रान्त परीक्षा से सीली हुई एवं क्रमांक युक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.10

दिनांक 06-07-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 06-07-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 07 पृष्ठ संख्या 100-104 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 06-07-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.11

दिनांक 11-07-2018 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 11-07-2018 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 08 पृष्ठ संख्या 109-115 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 11-07-2018 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.12

विद्या परिषद् ने स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में स्वच्छता अभियान पर एक जागरुकता कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.13

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में सम्प्रति ऐसे क्षेत्रीय निदेशक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा सहायक आचार्य की अर्हता धारित करते हैं, उन्हें परामर्शदाता (शैक्षणिक) के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.14

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के पदनाम को संशोधित करते हुए क्षेत्रीय समन्वयक रखे जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.15


दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जून 2018 के भी उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार

विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जून, 2018 के भी उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को परीक्षाफल समय पर घोषित होने की स्थिति में दिसम्बर, 2017/जून 2018 को सम्मिलित रूप से पूर्व की भाँति उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.16

विद्या परिषद् ने कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28-04-2018 के संकल्प संख्या 95.03 के निर्णय को बी.एड./बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों हेतु परीक्षा जून 2018 से क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।


प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Third block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Fourth block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Fifth block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Handwritten signature or initials in the lower-left quadrant.

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 24-04-2018 को अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 51वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | प्रो. के.एन. सिंह,
कुलपति,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. राजेन्द्र प्रसाद,
कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 3. | डॉ. ओम जी गुप्ता,
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 4. | डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे,
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. | डॉ. आर.पी.एस. यादव,
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. | डॉ. आशुतोष गुप्ता,
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 7. | प्रो. पी.के. पाण्डेय,
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 8. | प्रो. सुधौंशु त्रिपाठी,
समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 9. | डॉ. टी.एन. दुबे,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 10. | डॉ. इति तिवारी,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 11. | डॉ. संतोषा कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |

12.	श्री सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
13.	डॉ. साधना श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
14.	श्री डी.पी. त्रिपाठी वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रित
15.	प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा/कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (1) डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा
- (2) प्रो. के.एस. मिश्र,
डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (3) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
- (4) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 10-03-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 10-03-2018 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या ----- पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 18-03-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 18-03-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक में दिनांक 18-03-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
50.01	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 14-10-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
50.02	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 14-10-2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
50.03	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 06-11-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
50.04	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 06-11-2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
50.05	उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 108/सत्तर-4-2017 दिनांक 02 फरवरी, 2017 जो योग शिक्षा हेतु पद सृजन के सम्बन्ध में है, से अवगत होना।	विद्या परिषद् उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 108/सत्तर-4-2017 दिनांक 02 फरवरी, 2017 जो योग शिक्षा हेतु पद सृजन के सम्बन्ध में है, से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
50.06	विश्वविद्यालय में पुरा छात्र प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत पुरातन छात्र परिषद् की	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में पुरा छात्र प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत पुरातन छात्र परिषद् की	दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक

	नियमावली पर विचार।	नियमावली को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./103/2018 दिनांक 21-04-2018 द्वारा डॉ. संतोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
50.07	Ph.D. प्रवेश परीक्षा 2015 के परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में दिनांक 13-03-2018 को विश्वविद्यालय के समस्त निदेशकों/प्रभारियों, विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने Ph.D. प्रवेश परीक्षा 2015 के परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में दिनांक 13-03-2018 को विश्वविद्यालय के समस्त निदेशकों/प्रभारियों, विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि Ph.D. प्रवेश परीक्षा 2015 में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन करने के उपरान्त साक्षात्कार तक की प्रक्रिया पूर्ण की है और आगामी Ph.D. प्रवेश परीक्षा में पुनः आवेदन नहीं करना चाहते ऐसे अभ्यर्थियों को उनके द्वारा शुल्क मांगने पर प्रवेश परीक्षा शुल्क वापस किया जाय।	दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./104/2018 दिनांक 21-04-2018 द्वारा प्रो. पी.के. पाण्डेय, प्रभारी, शोध अनुभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
50.08	दिनांक 15-03-2018 को कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 15-03-2018 को कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./112/2018 दिनांक 23-04-2018 द्वारा डॉ.

			आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
50.09	दिनांक 16-03-2018 को प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 16-03-2018 को प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./110/2018 दिनांक 23-04-2018 द्वारा डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
50.10	दिनांक 17-03-2018 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 17-03-2018 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./111/2018 दिनांक 23-04-2018 द्वारा डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
50.11	यू.जी.सी.अधिनियम 2009 के अर्न्तगत विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत किये जा रहे प्रमाण पत्र में संशोधन के सम्बन्ध में दिनांक 17-03-2018 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।	विद्या परिषद् ने यू.जी.सी.अधिनियम 2009 के अर्न्तगत विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत किये जा रहे प्रमाण पत्र में संशोधन के सम्बन्ध में दिनांक 17-03-2018 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त को यथावत स्वीकार किये जाने	दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।

		का निर्णय लिया।	
50.12	विश्वविद्यालय में पी-एच.डी. डिग्री थीसिस जमा होने की तिथि को डिग्री का वर्ष घोषित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या रा0का0-102 /सत्तर -1-2018 दिनांक 02 फरवरी, 2018 के परिप्रेय में दिनांक 13-03-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के शोध गाइड लाइन्स के अध्यादेश की अद्यतन स्थिति तथा अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के अध्यादेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव तैयार कर आगामी विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।
50.13	दिनांक 13-03-2018 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार		
1.	सत्र 2017-18 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत होना।	मान्यता बोर्ड सत्र 2017-18 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	सत्र 2017-18 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत होना।	मान्यता बोर्ड सत्र 2017-18 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	सत्र 2017-18 में 03 बी.एड.(SE) अध्ययन केन्द्रों को कतिपय कारणों से निरस्त होने सम्बन्धित निर्णयों से अवगत होना।	मान्यता बोर्ड सत्र 2017-18 में 03 बी.एड. (SE) अध्ययन केन्द्रों को कतिपय कारणों से निरस्त होने सम्बन्धित निर्णयों से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
4.	अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या :	मान्यता बोर्ड ने अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या : ओ.यू./1856/2018, दिनांक 05-	दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा

ओ.यू./1856/2018, दिनांक 05-03-2018 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 08-03-2018 की कार्यवृत्त पर विचार।

03-2018 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 08-03-2018 की कार्यवृत्त को स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया।

को यथावत स्वीकार किया गया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को निम्नलिखित संशोधनोपरान्त स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया :-

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली 23 जून, 2017 के अधिसूचना में दिये गये व्यवस्थानुसार अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड को लागू किया जाय।"

50.14 दिनांक 15-03-2018 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक (आपातकालीन) की अनुशंसा पर विचार।

1. उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द्र की आवश्यकता एवं संस्थापना पर विचार

योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द्र की आवश्यकता एवं संस्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र, फैजाबाद के कार्यालय हेतु भूमि/भवन क्रय किये जाने पर विचार।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र, फैजाबाद के कार्यालय हेतु भूमि/भवन क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. विश्वविद्यालय में विधि विद्या शाखा स्थापित किये जाने पर विचार।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में विधि विद्या शाखा स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को

		यथावत स्वीकार किया।	की जा रही है।
4.	विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) स्थापित किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने क निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
50.16	विश्वविद्यालय में प्रस्तावित विधि विद्या शाखा एवं पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) में पदों के सृजन पर विचार।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में प्रस्तावित विधि विद्या शाखा एवं पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) में निम्नलिखित पदों के सृजन किये जाने का निर्णय लिया :- (अ) <u>विधि विद्या शाखा</u> 1. निदेशक - 01 2. प्रोफेसर - 01 3. एसोसिएट प्रोफेसर -01 4. असिस्टेंट प्रोफेसर -03 (ब) <u>पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा</u> 1. निदेशक - 01 2. प्रोफेसर - 01 3. एसोसिएट प्रोफेसर -01 4. असिस्टेंट प्रोफेसर -03	दिनांक 20-03-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 51.03

दिनांक 28-10-2017 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक (आपातकालीन) की कार्यवृत्त पर विचार

1. विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना

विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण हेतु दिनांक 06-09-2016 को कार्यवाही संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-33,

उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद से गठित अनुबन्ध के अनुसार धनराशि के अवमुक्ति के 15 महीने में कार्य पूर्ण किया जाना है। दिनांक 06-09-2016 को अनुबंधित धनराशि रु. 988.34 लाख का 25% (रु. 247 लाख) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया जा चुका है। निर्माण इकाई के प्रगति विवरण के अनुसार प्लिंथ बीम का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

2. विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम द्वितीय तल पर होने के कारण दोनों कक्ष में गर्मी बनी रहती है। सर्वर के 24 घण्टे सुचारु रूप से संचालन हेतु दोनों ए.सी. 24 घण्टे चलाने के बावजूद भी सर्वर संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। उक्त के दृष्टिगत गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनांक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Seey) दिनांक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से दिन भर शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रमों से शिक्षक एवं शिक्षाथियों के लाभान्वयन हेतु विश्वविद्यालय ने मा. कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, वित्त अधिकारी कार्यालय, कम्प्यूटर लैब, कैंटीन लन्च हाल, विद्या शाखाओं हेतु कुल 07 टी.वी. क्रय किया है।

उक्त विभागों/अनुभागों में टी.वी. की आपूर्ति हेतु ई-कामर्स वेबसाइट Amazon.in के माध्यम से क्रयादेश दिया जा चुका है। इस हेतु प्रति टी.वी. रु. 12498/- की दर से कुल 07 टी.वी. (रु. 87486/-) क्रय किया जा चुका है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Seey) दिनांक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

4. विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरुष बाथरूम बनाये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में दीक्षान्त समारोह हेतु विशिष्ट अतिथिगण हेतु मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने निर्मित महिला बाथरूम को पुरुष बाथरूम रु. 11,124 लागत से बनाया गया।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरुष बाथरूम बनाये जाने से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

5. विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में विज्ञान विद्याशाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की गयी जिसके द्वारा विभिन्न विषयों को ई कन्टेन्ट में बदलना, सेमीनार/वर्कशॉप/ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैसिव ओपेन ऑन-लाइन कोर्स के अन्तर्गत वीडियो लैक्चर तैयार करने के लिए कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम हेतु निम्नवत सामग्रियों का क्रय कर स्थापित किया जा चुका है। जिसका विवरण निम्नवत है-

Sr. no.	Item	Total
1.	Online UPS	Rs.92000/-
2.	Furniture	Rs.77640/-
3.	Wired networking for 24 P.C.	Rs. 65000/-
4.	Digital Podium	Rs. 82,875/-
5.	Projector and Projector Screen	Rs.67000+13056=Rs.80,056/-
6.	Interactive Monitor	Rs. 90250/-
7.	L.G. A.C	Rs. 1,61,212.4/-

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

6. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन स्थित से अवगत होना

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण हेतु मानचित्र सहित प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 757, 758 दिनांक 10-08-2017 एवं पत्र संख्या 846 दिनांक 26-08-2017 द्वारा सरकारी

संस्थाओं क्रमशः महाप्रबन्धक (वाणिज्य), उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ; प्रबन्ध निदेशक, सी.एण्ड डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम, टी.सी.-38-वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-03, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ से प्रारम्भिक आगणन मानचित्र सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं को पुनः अनुस्मारक पत्र संख्या ओ.यू./913/2017, ओ.यू./914/2017 एवं ओ.यू./915/2017 दिनांक 11-09-2017 प्रेषित किये गये। अद्यतन कुल 04 संस्थाओं परियोजना प्रबन्धक, यूनिट -33, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम 263, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद से धनराशि रु. 385.03 लाख; परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इकाई-11, 3/20 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से धनराशि रु. 443.65 लाख; परियोजना प्रबन्धक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई-3, आफिस काम्पलेक्स, (द्वितीय तल), सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ से धनराशि रु. 238.03 लाख एवं परियोजना प्रबन्धक, यूनिट -13, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम, 2/18, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से धनराशि रु. 317.05 लाख के आगणन प्राप्त हुये हैं, जिनमें परियोजना प्रबन्धक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई-3, आफिस काम्पलेक्स, (द्वितीय तल), सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ का आगणन धनराशि रु. 238.03 लाख न्यूनतम है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन स्थित से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

7. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 19-11-2016, विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21-11-2016, वित्त समिति की बैठक दिनांक 22-11-2016 की संस्तुति एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25-11-2016 के निर्णय के अनुपालन में क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली के लिए भूखण्ड आवंटन हेतु

बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना में नर्सरी स्कूल भूखण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त आवेदन को निरस्त करने के उपरान्त पुनः बरेली क्षेत्रीय केन्द्र के लिए भूमि के आवंटन हेतु बरेली विकास प्राधिकरण के रामगंगा नगर आवासीय योजना के अम्बर खण्ड सेक्टर 03 में सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें (प्रथम) भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 1106.10 वर्गमीटर के आवंटन हेतु मूल्य रु. 12770/- प्रति स्क्वायर मीटर की दर से भूखण्ड के कुल मूल्य रु. 1,41,24,897/- का 10 प्रतिशत रु. 14,12,000/- अर्नेस्ट मनी के साथ आवेदन किया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन किया गया है। आवंटित भूखण्ड के कुल क्रय मूल्य रु. 1,41,24,897/- (14,12,000 + 21,19,224 + 1,05,93,673) का भुगतान किया जा चुका है।

उक्त भूखण्ड का निबन्धन कराने के सम्बन्ध में सम्पत्ति प्रभारी, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पत्र संख्या 6088/ब0वि0प्रा0/2017-18 दिनांक 22-09-2017 (संलग्नक पृष्ठ संख्या) के अनुसार निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण की जानी हैं :-

1. आवंटित भूखण्ड हेतु कार्नर चार्ज 10 प्रतिशत रु0-14,12,490/-
2. फ्री-होल्ड (1,41,24,897/- + 14,12,490/-) का 12 प्रतिशत रु0-18,64,487/-
3. स्टाम्प पेपर रु0-12,18,200/-
4. स्टाम्प पेपर रु0-50/-
5. रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करने हेतु आपके विभाग के प्राधिकृत अधिकारी का विवरण एवं प्राधिकृत पत्र की प्रति उपलब्ध कराया जाना।
6. निबन्धन कार्यालय में जमा कराने हेतु नियमानुसार रजिस्ट्री शुल्क।
7. प्राधिकृत अधिकारी के पासपोर्ट साईज के दो फोटो तथा आई.डी.।
8. प्राधिकृत अधिकारी का भूखण्ड पर खड़े होकर पासपोर्ट साईज के दो फोटो।
9. दो गवाहान के फोटो एवं आई.डी.।

उपरोक्त में से बिन्दु 1 व 2 पर वर्णित धनराशि रु. 32,76,977/- बरेली विकास प्राधिकरण के कोष में जमा कराने हेतु प्रेषित किया जा चुका है एवं सम्बन्धित भूखण्ड के निबन्धन की शेष अन्य औपचारिकतायें प्रक्रियाधीन हैं।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

8. विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण हेतु कुल 02 संस्थाओं से प्राप्त प्रारम्भिक आगणन में से परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आगणन धनराशि रु. 133.10 लाख न्यूनतम पाया गया जिस पर निगोसिएशन के उपरान्त उक्त संस्था द्वारा प्रस्तुत संशोधित आगणन धनराशि रु. 117.00 लाख के सापेक्ष अनुबन्ध गठित करते हुये शर्तानुसार प्रथम किश्त में 25 प्रतिशत धनराशि रु. 29.25 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया है। निर्माण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

9. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी को दूर करने के लिए निर्मित भवन के ऊपर के द्वितीय तल का निर्माण कराए जाने एवं छतरी लगाये जाने सम्बन्धी योजना बोर्ड के दिनांक 03 अप्रैल, 2017 की बैठक की अनुशंसा एवं तदोपरान्त विद्या परिषद् के दिनांक 10 अप्रैल, 2017 व कार्य परिषद् के दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के निर्णय के अनुपालन में उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा प्रारम्भिक आगणन धनराशि रु. 237.08 लाख का प्रस्तुत किया गया जिस पर निगोसिएशन के उपरान्त संशोधित आगणन धनराशि रु. 198.75 लाख का प्रस्तुत किया गया किन्तु इस

आगणन में छतरी (डोम) के निर्माण की लागत शामिल न होने के कारण पुनः निगोसिएशन के उपरान्त उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा छतरी (डोम) लगाने सहित द्वितीय तल के निर्माण किये जाने हेतु संशोधित आगणन धनराशि रु. 199.23 लाख का प्रस्तुत किया गया जिसके सापेक्ष अनुबन्ध के गठन की कार्यवाही करते हुए शर्तानुसार प्रथम किश्त में 25 प्रतिशत धनराशि रु. 49.80 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया है। निर्माण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

10. विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने पर विचार

वर्तमान की भाग दौड़ की जीवन शैली तनाव युक्त है। तनाव से मुक्ति एवं स्वस्थ तथा निरोग रखने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किया जा चुका है जिसके संचालन हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.04

दिनांक 25-01-2018 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक (आपातकालीन) की कार्यवृत्त पर विचार

1. विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्युनिटी सेण्टर के निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के अर्न्तगत सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाओं एवं प्रतिवर्ष समन्वयकों की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। यमुना परिसर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बड़े कक्ष/हॉल उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्युनिटी सेण्टर का निर्माण कराये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने यमुना परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीस्टोरी कम्युनिटी सेण्टर का निर्माण जिसमें कम्युनिटी सेण्टर के बेसमेण्ट में पार्किंग की व्यवस्था, प्रथम तल में अतिथि गृह एवं भूतल में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों हेतु बड़े कक्ष/हाल एवं स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।

योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस कम्युनिटी सेण्टर का सदुपयोग विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भी किया जायेगा।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने पर विचार

योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 19-11-2016, विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 21-11-2016, वित्त समिति की बैठक दिनांक 22-11-2016 की संस्तुति एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 25-11-2016 के निर्णय के अनुपालन में क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली के लिए भूखण्ड आवंटन हेतु बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना के अम्बर खण्ड सेक्टर 03 में सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें (प्रथम) भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 1106.10 वर्गमीटर के आवंटन हेतु मूल्य रु. 12770/- प्रति स्वचायर मीटर की दर से भूखण्ड के कुल मूल्य रु. 1,41,24,897/- का 10 प्रतिशत रु. 14,12,000/- अर्नेस्ट मनी के साथ आवेदन किया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन किया गया है। आबंटित भूखण्ड के कुल क्रय मूल्य रु. 1,41,24,897/- (14,12,000 + 21,19,224 + 1,05,93,673) के भुगतान के उपरान्त आवंटित भूखण्ड हेतु कार्नर चार्ज 10 प्रतिशत रु. 14,12,490/- एवं फ्री-होल्ड (1,41,24,897/- + 14,12,490/-) का 12 प्रतिशत रु. 18,64,487/- कुल अतिरिक्त धनराशि रु. 32,76,977/- बरेली विकास प्राधिकरण के कोष में जमा कराकर रजिस्ट्री की कार्यवाही की जा चुकी है। क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली के कार्यालय को अपने निज भवन में स्थानान्तरित करने एवं उक्त भूखण्ड की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे एक कान्फ्रेंस हाल, रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के

अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि०ली० क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद का कार्यालय अवस्थित है एवं प्राध्यापकों व कर्मचारियों के आवास भी लगभग निर्मित होने वाले हैं। क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद में कार्यालयी कार्यों से छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों का प्रतिदिन आवागमन होता रहता है एवं भविष्य में आवासों पर रहने वाले प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के दृष्टिगत यमुना परिसर में स्थायी रूप से एक नलकूप एवं जल संग्रहण हेतु 200 कि०ली० की टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र सहित आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्थाओं : (1) सी.एण्ड डी. एस. विद्युत/यांत्रिक नलकूप विंग, उ०प्र० जल निगम, इलाहाबाद (2) सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ०प्र० जल निगम, इलाहाबाद एवं (3) उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद ईकाई-2, मशीनरी एवं स्ट्रक्चरल सेण्टर-डी-6 एवं डी-7, नैनी इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किये गये थे। परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. विद्युत/यांत्रिक नलकूप विंग, उ०प्र० जल निगम, इलाहाबाद द्वारा आगणन उपलब्ध कराया गया है अन्य उपरोक्त संस्थाओं से आगणन प्राप्त नहीं हैं। निर्माण इकाई ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इलाहाबाद से हुई वार्ता के क्रम में उल्लिखित निर्माण कार्यों हेतु अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इलाहाबाद द्वारा प्रारम्भिक आगणन प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी. एस. विद्युत/यांत्रिक नलकूप विंग, उ०प्र० जल निगम, इलाहाबाद एवं अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इलाहाबाद से प्राप्त प्रारम्भिक आगणनों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	कार्यदायी संस्था	नलकूप एवं 200 कि०ली० क्षमता के टंकी के निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन की धनराशि
01	परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. विद्युत/यांत्रिक नलकूप विंग, उ०प्र० जल निगम, इलाहाबाद	58.37 लाख (26.62 + 31.75)
02	अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इलाहाबाद	50.00 लाख

उपरोक्त विवरण के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभिव्यंजन विभाग, इलाहाबाद का आगणन रु. 50.00 लाख की दर न्यूनतम है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि०मी० क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन की व्यवस्था न होने के कारण विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं, वाह्य आगन्तुकों एवं कर्मियों को आवश्यकतानुसार जलपान आदि की व्यवस्था बाहर से करनी पड़ती है।

अतः प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में छात्र/छात्राओं, वाह्य आगन्तुकों एवं कर्मियों

हेतु कैंटीन के भवन निर्माण कराये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे एक कान्फ्रेंस हाल, रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण हेतु मानचित्र सहित प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित पत्रों के सापेक्ष कुल 04 संस्थाओं से आगणन प्राप्त हुए जिनमें परियोजना प्रबन्धक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, निर्माण इकाई-3, आफिस काम्पलेक्स, (द्वितीय तल), सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ का आगणन धनराशि रु. 238.03 लाख की न्यूनतम दरों के सापेक्ष उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध गठित कर प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु. 59,50,750/- अवमुक्त किया जा चुका है। सम्बन्धित निर्माण कार्य का भूमिपूजन/शिलान्यास माननीय कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 24-12-2017 को किया गया। चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

6. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सभी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु निजी भवन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 19-11-2016 में संस्तुत किया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों के लिये भूमि/भवन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कुलसचिव महोदय को अधिकृत किया। जिसे विद्या परिषद् ने दिनांक 21-11-2016 की बैठक में तथा कार्य परिषद् ने दिनांक 25-11-2016 की बैठक में संकल्प संख्या 86.09(18-10) में यथावत स्वीकार किया। वित्त समिति ने दिनांक 22-11-2016 की बैठक में क्षेत्रीय

केन्द्रों के लिए भवन/भूमि क्रय किये जाने की संस्तुति की जिसे कार्य परिषद ने दिनांक 25-11-2016 की बैठक के संकल्प संख्या 86.10(14) में यथावत स्वीकार किया है।

कार्य परिषद के उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ एवं क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जा चुके हैं एवं अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है। क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को भी पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

7. विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष में फाल्स सीलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं द्वितीय तल पर सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग का कार्य जल्द पूर्ण होने की सम्भावना है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष में योग मशीन जैसे ट्रेडमिल, साइकिल, पर्दे, शीशा एवं फिटनेस से सम्बन्धित अन्य उपकरण लगाये जाने व सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

8. विश्वविद्यालय के गंगा एवं सरस्वती परिसर में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने पर विचार

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर एवं सरस्वती परिसर में वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु अण्डरग्राउण्ड पार्किंग जिसमें बेसमेण्ट में चार पहिया वाहन तथा भूतल पर दो पहिया वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में पावर सप्लाय मीटर रूम, ट्रॉसफारमर पैड के निर्माण, विद्युत केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में आवासीय भवन, क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन एवं पम्प संचालन इत्यादि के दृष्टिगत पूर्व में 10 किलोवाट के कनेक्शन के विद्युत भार बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही पावर सप्लाय मीटर रूम एवं ट्रॉसफारमर पैड निर्माण एवं विद्युत केबल इत्यादि खरीदने सम्बन्धी प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में पावर सप्लाय मीटर रूम, ट्रॉसफारमर पैड के निर्माण, विद्युत केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त कार्य सम्बन्धित विद्युत विभाग से सम्पर्क कर कराया जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.05

दिनांक 06-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 06-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक
पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 06-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.06

दिनांक 28-03-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 28-03-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 28-03-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.07

दिनांक 28-03-2018 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 28-03-2018 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक
पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 28-03-2018 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.08

दिनांक 20-04-2018 को व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।

दिनांक 20-04-2018 को व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 20-04-2018 को व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.09

दिनांक 26-03-2018 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 26-03-2018 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 26-03-2018 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.10

ऐसे कार्यक्रम जिसमें विगत 03 वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या 0 से 10 तक है, कतिपय कार्यक्रमों के संचालन को सत्र 2018-19 से स्थागित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

ऐसे कार्यक्रम जिसमें विगत 03 वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या 0 से 10 तक है, ऐसे कार्यक्रमों की सूची संलग्नक पृष्ठ संख्या : पर उपलब्ध है। अतः ऐसे कार्यक्रमों के संचालन को जुलाई, 2018-19 से स्थगित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने ऐसे कार्यक्रम जिसमें विगत 03 वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या 0 से 10 तक है, कतिपय कार्यक्रमों के संचालन को सत्र 2018-19 से स्थागित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सिद्धान्तः स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.11

दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जनवरी सत्र के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में सभी निदेशकों/अधिकारियों/प्राध्यापकों के मध्य विचार-विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जनवरी सत्र के सापेक्ष उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जायेंगे। इसी प्रकार जुलाई सत्र के सापेक्ष उत्तीर्ण होने वाले शिक्षार्थियों को आगामी दीक्षान्त समारोह में उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जायेंगे।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जनवरी सत्र के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.12

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों से पुनः पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार

सत्र 2018-19 से विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थियों को अपने कार्यक्रम को न्यूनतम से लेकर अधिकतम अवधि तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अधिकतम अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् उन्हें पुनः पंजीकरण का लाभ सत्र 2018-19 से प्रदान नहीं किया जायेगा।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों से पुनः पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.13

"एकल विषय में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र कार्यक्रम" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

"एकल विषय में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र कार्यक्रम" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने "एकल विषय में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र कार्यक्रम" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.14

दिनांक 03-04-2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त पर विचार

1. विगत वर्ष के छूटे हुए प्रश्न-पत्र के अंक (अधिन्यास एवं सत्रांत परीक्षा) हेतु कमेटी का गठन कर Average अंक प्रदान कराने पर विचार।

कतिपय कारणों से शिक्षार्थियों के अधिन्यास एवं सत्रांत परीक्षा के अंक अंकतालिका में अंकित होने से छूट गये हैं। अतः शिक्षार्थियों के विगत वर्ष के छूटे हुए प्रश्न-पत्र के अंक (अधिन्यास एवं सत्रांत परीक्षा) को कमेटी का गठन कर Average अंक प्रदान कराने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एक समिति का गठन किया जाय जिसमें समिति के सदस्य डॉ० पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, डॉ० आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा एवं डॉ० आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा होंगे। समिति की अनुशंसा पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाय। इस प्रकार के प्रकरण हेतु प्रत्येक शनिवार को गठित समिति की बैठक कराई जाय तथा समिति की संस्तुति के आधार पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाय व प्रमाण सुरक्षित रखा जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कराने हेतु क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ व कानपुर को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाने पर विचार।

सत्रांत परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ व कानपुर को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाते हुए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने पर विचार

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्रांत परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झाँसी, आगरा, बरेली व मेरठ को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाय तथा क्षेत्रीय निदेशकों की देखरेख में उत्तर पुस्तिकाओं

के मूल्यांकन का कार्य कराया जाय। किसी भी क्षेत्रीय मूल्यांकन केन्द्र हेतु पर्यवेक्षक एवं नोडल प्रभारी की नियुक्ति मा० कुलपति जी के स्तर से की जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. कार्यक्रम अनुसार पूर्व की भांति UG प्रथम, द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर वाइज एवं PG प्रथम व सेमेस्टर वाइज की अंकतालिका शिक्षार्थियों को रू० 200/- शुल्क लेने के पश्चात उपलब्ध कराने पर विचार।

पूर्व में शिक्षार्थियों को कार्यक्रम अनुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष की अंकतालिका निर्गत की जाती थी परन्तु वर्ष 2016 से तत्समय कुलपति जी के आदेशानुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष की कार्यक्रम अनुसार अपूर्ण अंकतालिका निर्गत करना रोक दिया गया था। शिक्षार्थियों द्वारा बार-बार प्रथम, द्वितीय वर्ष व सेमेस्टर वाइज अंकतालिका प्रदान करने की मांग प्रस्तुत की जा रही है। अतः कार्यक्रमानुसार प्रथम, द्वितीय वर्ष व सेमेस्टर वाइज अंकतालिका रू० 200/- शुल्क लेने के पश्चात उपलब्ध कराने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थियों की मांग पर रू० 200/- प्रति अंकपत्र शुल्क प्राप्त होने की स्थिति में कार्यक्रमानुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष की अंकतालिका निर्गत कर दी जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. बी०एड० व विशिष्ट बी० एड० का एक ही अधिन्यास प्रश्न-पत्र बनवाने पर विचार।
कार्यक्रम बी०एड० व विशिष्ट बी० एड० का दो अधिन्यास प्रश्न-पत्र बनता है तथा विश्वविद्यालय पर अधिक व्ययभार आता है। शिक्षार्थियों को भी दो उत्तर पुस्तिकाएँ लिख कर जमा करनी होती है जिसमें कई बार शिक्षार्थी की एक ही उत्तर पुस्तिका का अंक उपलब्ध हो पाने के कारण पूर्ण परीक्षा परिणाम घोषित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः अधिन्यास मूल्यांकन में अन्य कार्यक्रमों की भांति प्रति प्रश्नपत्र एक अधिन्यास प्रश्नपत्र निर्माण पर विचार। (संलग्नक पृष्ठ संख्या

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा समिति की अनुशंसा एवं परीक्षा परीणाम की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विद्या शाखा को इस आशय का पत्र कुलसचिव जी के माध्यम से प्रेषित किया जाय कि अन्य कार्यक्रमों के समान ही B.Ed एवं B.Ed (SE) कार्यक्रमों में भी एक ही अधिन्यास प्रश्न-पत्र बनाया जाना उपयुक्त होगा।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि पूर्ववत व्यवस्था यथावत रखी जाय।

5. जून-2010 से दिसम्बर-2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रू० 9,30,000/- में विक्रय कर दिया गया है। इसकी सूचना प्रशासन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

प्रशासन अनुभाग की सूचना अनुसार जून-2010 से दिसम्बर-2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रू० 9,30,000/- में विक्रय कर दिया गया है। सूचनार्थ प्रस्तुत। (संलग्नक पृष्ठ संख्या

प्रशासन अनुभाग की सूचना अनुसार जून-2010 से दिसम्बर-2015 तक की सम्स्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में ₹ 9,30,000/- में विक्रय कर दिये जाने से परीक्षा समिति अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

6. सत्रांत परीक्षा जून-2017 परीक्षा केन्द्र एस-833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के परीक्षार्थियों का परिणाम उपस्थिति पत्रक में जिन शिक्षार्थियों के हस्ताक्षर थे घोषित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार एस-806 (गुरु फूलचन्द पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर) के शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी घोषित कर दिया गया है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या

सत्रांत परीक्षा जून-2017 परीक्षा केन्द्र एस-833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) एवं एस-806 (गुरु फूलचन्द पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर) के जिन परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर उपस्थिति पत्रक में था उनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जाने से परीक्षा समिति अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

7. सत्रांत परीक्षा जून-2017 परीक्षा केन्द्र एस-833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के ऐसे शिक्षार्थी जिनके परीक्षा परिणाम रोके गये हैं उनके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऐसे शिक्षार्थियों के सभी प्रश्न-पत्रों की परीक्षा निरस्त की जाय या जिन प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध है परन्तु उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं हैं उनके परीक्षा परिणाम रोके जाने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इसकी सूचना अध्ययन केन्द्र के पैलन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर upload कराया जाय तथा जिस प्रश्नपत्र के उपस्थिति पत्रक में परीक्षार्थियों की उपस्थिति नहीं है उस प्रश्नपत्र का परीक्षा परिणाम निरस्त करते हुए शेष को घोषित कर दिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. जुलाई-2018 सत्र में स्नातक एवं परास्नातक के कार्यक्रम में प्रवेशित सभी वर्ष के शिक्षार्थियों को नान क्रेडिट कार्यक्रमों की परीक्षा तथा ऐसे कार्यक्रम जिसमें छात्र संख्या 500 से अधिक होगी उनकी भी परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर कराई जायेगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नान क्रेडिट कार्यक्रमों तथा योगा कार्यक्रम के दो प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर जनवरी-2018 सत्र से ही कराई जायेगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे इसकी सूचना विश्वविद्यालय के website पर भी upload किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि नान क्रेडिट कार्यक्रमों तथा योगा कार्यक्रम के दो प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर जनवरी-2018 सत्र से ही कराई जाय। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 70 अंक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे इसकी सूचना विश्वविद्यालय के website पर भी upload किया जाय।

9. दिसम्बर-2018 सत्र की परीक्षा से OMR आधारित उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा।

दिसम्बर-2018 सत्र की परीक्षा से OMR आधारित उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किये जाने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से दिसम्बर-2018 सत्र की परीक्षा से OMR आधारित उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किये जाने की संस्तुति की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. राज्य सरकार के निर्देश एवं विश्वविद्यालय मानक के आलोक में जून-2018 सत्र हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मा० कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर निर्धारित किया जायेगा।

जून-2018 सत्र के परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु मा० कुलपति जी द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति का गठन किया जायेगा। राज्य सरकार के निर्देश एवं विश्वविद्यालय मानक के आलोक में समिति की अनुशंसा पर परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण का कार्य किया जायेगा।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जताई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11. पूर्व सत्रों के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जो कतिपय कारणों से अपूर्ण थे परन्तु वे वर्तमान में पूर्ण हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें किस सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान की जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षार्थी द्वारा जिस सत्रांत (Term End) में परीक्षा दी गई है उसी सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

12. विश्वविद्यालय में कर्मचारी कल्याण निधि (Employee Welfare Fund) शुरू करने के सम्बन्ध में कुलसचिव जी द्वारा चर्चा की गई तथा प्रस्ताव दिया गया कि अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये परामर्श देयक के भुगतान में से 3 प्रतिशत (3%) कटौती करते हुए घनराशि कर्मचारी कल्याण निधि (Employee Welfare Fund) में जमा किया जाय।

समिति ने मा० कुलपति जी के सहमति के आधार पर निर्णय लिया कि इसकी सम्पूर्ण कार्यवाही कुलसचिव के माध्यम से पूर्ण कराई जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.15

विश्वविद्यालय के नवीन क्षेत्रीय केन्द्र फैजाबाद हेतु 02 डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) रखे जाने पर विचार।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के नवीन क्षेत्रीय केन्द्र फैजाबाद हेतु 02 डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) रखे जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों पर भी डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) नियुक्त किया जाय।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.16

विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक संवर्ग के पदों का विद्या शाखावार/विषयवार पुनर्वर्गीकरण किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक संवर्ग के पदों का विद्या शाखावार/विषयवार पुनर्वर्गीकरण किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.17

पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को छात्र संख्या के अभाव में स्थगित किये जाने तथा पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने हेतु शुल्क लेने के सन्दर्भ में अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

विद्या परिषद् ने पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को छात्र संख्या के अभाव में स्थगित किये जाने तथा पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने हेतु शुल्क लेने के सन्दर्भ

में अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा (संलग्नक पृष्ठ संख्या)को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 51.18

दिनांक 21-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार


दिनांक 21-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 21-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।


प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 06-06-2018 को सायं 4:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 52वीं बैठक
(आपातकालीन) का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | प्रो. के.एन. सिंह,
कुलपति,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. ओम जी गुप्ता,
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 3. | डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे,
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 4. | डॉ. आर.पी.एस. यादव,
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. | डॉ. आशुतोष गुप्ता,
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. | प्रो. पी.के. पाण्डेय,
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 7. | प्रो. सुधौंशु त्रिपाठी,
समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 8. | डॉ. टी.एन. दुबे,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 9. | डॉ. इति तिवारी,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 10. | डॉ. संतोषा कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 11. | श्री सुनील कुमार,
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |

12. डॉ. साधना श्रीवास्तव, सदस्य
असिस्टेंट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
13. प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल सदस्य-सचिव
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा/कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (1) प्रो. राजेन्द्र प्रसाद,
कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (2) डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा
- (3) प्रो. के.एस. मिश्र,
डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (4) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
- (5) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 52.01

दिनांक 04-06-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 04-06-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक
पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 04-06-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 52.02

दिनांक 05-06-2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न (आपातकालीन) बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. सत्रांत परीक्षा की तैयारी हेतु ऐसे कर्मचारी जो कार्यालय अवधि के बाद एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय आ कर कार्य करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः उचित होगा कि ऐसे कर्मचारियों के लिये प्रतिकर की अवधि बढ़ा कर तीन माह कर दी जाय या अन्य राज्य विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों के लिये जो पारिश्रमिक का प्रावधान हो, उसे लागू कर लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

प्रायः परीक्षा की तैयारी के दृष्टिगत परीक्षा से पूर्व, दौरान तथा उपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु अवकाश के दिन भी कार्यालय खोलना पड़ता है परन्तु एक माह अन्दर प्रतिकर लेने की वाध्यता के कारण कर्मचारी अवकाश नहीं ले पाते हैं। अतः प्रतिकर लेने हेतु निर्धारित अवधि एक माह से बढ़ाकर तीन माह करने अथवा अन्य राज्य विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों के लिये जो पारिश्रमिक भुगतान का प्रावधान हो उसे लागू करने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु कुलसचिव द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाय। परीक्षा समिति के सदस्य डॉ० ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा संयोजक तथा डॉ० पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा एवं डॉ० आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा कमेटी के सदस्य होंगे।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. परीक्षा विभाग द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु ₹0 500/- एवं 300/- का शुल्क निर्धारित किया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।

शिक्षार्थियों द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष परीक्षा विभाग द्वारा ₹0 500/- एवं 300/- का शुल्क निर्धारित किया गया है। बिन्दु सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क ₹0 500/- एवं 300/- से अवगत होते हुए सहमति व्यक्त की गई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. सत्र 2016 के पूर्व से छूटे हुए प्रश्न-पत्र के अंक को अंकपत्र में अंकित करवाने वाले प्रकरण हेतु प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/- निर्धारित करने पर विचार।

वर्तमान समय में अधिक मात्रा में पुराने शिक्षार्थी अपने अंकपत्र में संशोधन हेतु आवेदन कर रहे हैं। जबकि सूचना विवरणिका में स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षार्थी परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण का निस्तारण 01 वर्ष की अवधि में पूर्ण करा लें अन्यथा की दशा में आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परन्तु अधिक मात्रा में पुराने शिक्षार्थी प्रत्येक कार्य दिवस पर अंकतालिका में संशोधन हेतु आवेदन कर रहे हैं। जिससे विश्वविद्यालय के कर्मियों का अधिकांश समय उसमें लग रहा है। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु उचित होगा कि यदि प्रकरण सत्र 2016 से पूर्व का है तो प्रति आवेदन प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/- निर्धारित कर दिया जाय जिससे एक ही शिक्षार्थी द्वारा कई बार आवेदन न दिया जाय व उसका प्रकरण निस्तारित हो सके। बिन्दु विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाफल घोषित होने से तीन वर्ष पूर्व के प्रकरणों पर प्रति आवेदन प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/- लिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रू 2/- प्रति कॉपी न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/- पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु जिन कर्मचारियों (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) को अधिकृत किया जाता है उन्हें कार्यालय अवधि से पूर्व/पश्चात कार्य करना पड़ता है। मूल्यांकन कार्य की प्रकृति तथा समय-बद्धता के कारण उन्हें अवकाश के दिनों में भी कार्य करना होता है साथ ही वे अपने पूर्व में निर्धारित/आवंटित कार्यों को भी सम्पन्न करते रहते हैं। ऐसे में उचित होगा कि इन कर्मचारियों को मूल्यांकन कार्य हेतु एक उचित पारिश्रमिक रू 2/- प्रति कॉपी, न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/- अलग से निर्धारित कर दिया जाए। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किये गए कर्मचारियों (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) को मूल्यांकन कार्य हेतु एक उचित पारिश्रमिक रू 2/- प्रति कॉपी, न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/- अलग से निर्धारित करने की संस्तुति की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित नोडल प्रभारी हेतु देय मानदेय 10,000 से कम उत्तर पुस्तिकायें होने पर न्यूनतम रू0 5,000/- तथा 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकायें होने पर अधिकतम रू0 10,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराने हेतु नोडल प्रभारी का मानदेय 10,000 से कम उत्तर पुस्तिकायें होने पर न्यूनतम रू0 5,000/- तथा 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकायें होने पर अधिकतम रू0 10,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराने हेतु नोडल प्रभारी का मानदेय निर्धारित करने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नानुसार संस्तुति की :-

कॉपी संख्या	मानदेय
25,000 तक	रू0 05,000 /-
25,001 से 50,000 तक	रू0 10,000 /-
50,000 से अधिक	रू0 15,000 /- यदि नोडल प्रभारी द्वारा सहायक नोडल प्रभारी नियुक्त किया जाता है तो मानदेय का वितरण 60% एवं 40% के अनुपात में किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के सापेक्ष अनुचित साधन प्रयोग (UFM) से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के सापेक्ष अनुचित साधन प्रयोग (UFM) से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। बिन्दु समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में आरोपित 11 परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में UFM कमेटी के निर्णय की पुष्टि की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। विन्दु समिति कि समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों के घोषित परीक्षाफल की सूचना से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत विन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों (बी.एड. एवं बी.एड. विशिष्ट शिक्षा को छोड़कर) के घोषित परीक्षाफल की सूचना से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने जिन केन्द्रों पर 400 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं उन केन्द्रों का परीक्षाफल पूर्णतः घोषित किए जाने का निर्णय लिया।

8. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट से सम्बन्धित शुल्क लिये जाने के प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा समिति की 23वीं बैठक के विन्दु संख्या 23.05 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष वेरीफिकेशन तथा ट्रान्सक्रिप्ट हेतु निर्धारित शुल्क ₹ 500/- लिया जा रहा था परन्तु सरकारी संस्थाओं द्वारा शुल्क लिये जाने पर आपत्ति जताई गई है। अतः सरकारी संस्थाओं से वेरीफिकेशन तथा ट्रान्सक्रिप्ट हेतु शुल्क लिया जाय अथवा नहीं। प्रकरण पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत। (संलग्नक ----- पृष्ठ संख्या -----)

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा नियंत्रक प्रकरण पर मा. कुलपति जी के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत विन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने का प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने पर विचार करने हेतु बिन्दु परीक्षा समिति के सम्मक्ष प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने पर सहमति व्यक्त की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. परीक्षा जून-2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित नहीं की जा रहीं हैं। संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.11 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष परीक्षा जून-2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित नहीं की जा रहीं हैं। संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

संलग्नक - पृष्ठ संख्या

परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.11 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष परीक्षा जून-2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित न किये जाने की सूचना से परीक्षा समिति अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 52.03

दिनांक 06-06-2018 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 28-10-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 28-10-2017 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त सभी सम्मानित सदस्यों को भेज दी गयी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या : पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 28-10-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 28-10-2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना

योजना बोर्ड अपनी पिछली बैठक दिनांक 28-10-2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
25.01	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 03-04-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.02	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 03-04-2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.03	विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.04	विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने पर	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

	विचार।		
25.05	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनांक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ. शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनांक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.06	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरुष बाथरूम बनाये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरुष बाथरूम बनाये जाने से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.07	विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.08	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

	प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	
25.09	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.10	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.11	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.12	विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कार्यवाही की जा रही है।

25.13	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
-------	--	---	---------------------------------

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

3. योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 25-01-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 25-01-2018 को सम्पन्न योजना बोर्ड की आपातकालीन बैठक का कार्यवृत्त सभी सम्मानित सदस्यों को भेज दी गयी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 25-01-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 25-01-2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना

योजना बोर्ड अपनी पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 25-01-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
---------------	-------------------------	--------------------------------	---

26.01	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्युनिटी सेण्टर के निर्माण कराये जाने पर विचार।	<p>योजना बोर्ड ने यमुना परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीस्टोरी कम्युनिटी सेण्टर का निर्माण जिसमें कम्युनिटी सेण्टर के बेसमेण्ट में पार्किंग की व्यवस्था, प्रथम तल में अतिथि गृह एवं भूतल में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों हेतु बड़े कक्ष/हाल एवं स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।</p> <p>योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस कम्युनिटी सेण्टर का सदुपयोग विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भी किया जायेगा।</p>	निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
26.02	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
26.03	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि०ली० क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि०ली० क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
26.04	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।

26.05	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26.06	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26.07	विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष में योग मशीन जैसे ट्रेडमिल, साइकिल, पर्दे, शीशा एवं फिटनेस से सम्बन्धित अन्य उपकरण लगाये जाने व सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26.08	विश्वविद्यालय के गंगा एवं सरस्वती परिसर में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर एवं सरस्वती परिसर में वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु अण्डरग्राउण्ड पार्किंग जिसमें बेसमेण्ट में चार पहिया वाहन तथा भूतल पर दो पहिया वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
26.09	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में पावर सप्लाइ मीटर रूम, ट्रॉसफार्मर पैड के निर्माण, विद्युत	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में पावर सप्लाइ मीटर रूम, ट्रॉसफार्मर पैड के निर्माण, विद्युत केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने पर विचार।	का निर्णय लिया। योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त कार्य सम्बन्धित विद्युत विभाग से सम्पर्क कर कराया जाय।	
---	---	--

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

5. योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 15-03-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 15-03-2018 को सम्पन्न योजना बोर्ड की आपातकालीन बैठक का कार्यवृत्त सभी सम्मानित सदस्यों को भेज दी गयी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 15-03-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 15-03-2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना

योजना बोर्ड अपनी पिछली आपाकालीन बैठक दिनांक 15-03-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
27.01	उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द्र की आवश्यकता एवं संस्थापना पर विचार।	योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द्र की आवश्यकता एवं संस्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

27.02	विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र, फ़ैजाबाद के कार्यालय हेतु भूमि/भवन क्रय किये जाने पर विचार	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र, फ़ैजाबाद के कार्यालय हेतु भूमि/भवन क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
27.03	विश्वविद्यालय में विधि विद्या शाखा स्थापित किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में विधि विद्या शाखा स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
27.04	विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) स्थापित किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

7. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द्र की आवश्यकता एवं संस्थापना पर विचार

विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। प्रदेश का विस्तार बहुत अधिक है और भौगोलिक दशाएं भी भिन्न-भिन्न हैं। शिक्षार्थियों की सुविधा की दृष्टि से एवं कार्य प्रणाली को गति देने के लिए प्रदेश में 11 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर बरेली, मेरठ, नोएडा, झाँसी आगरा एवं फ़ैजाबाद में की गयी है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ परिक्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के कार्य प्रणाली को गतिशील बनाने एवं केन्द्रों व विश्वविद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु आजमगढ़ क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द्र की आवश्यकता एवं संस्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. इस विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार

शिक्षार्थियों की सुविधा की दृष्टिगत एवं इस विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद की भाँति समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जाना है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने इस विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2018 की अनुशंसा पर विचार

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2018 की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2018 की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. कार्यदायी संस्था, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये उपभोग प्रमाण पत्र एवं उनके पत्र संख्या 359/निर्माण 36/7 दिनांक 27-02-2018 के आलोक में समयान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध के अनुसार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद जो एक शासकीय प्रतिष्ठान है एवं शासन की नीतियों के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था घोषित है से अनुबन्ध गठित किया गया है, जिसके सापेक्ष उक्त कार्यदायी संस्था को अनुबन्ध की शर्तानुसार प्रथम किश्त में धनराशि रु. 133.90 लाख एवं द्वितीय किश्त में धनराशि रु. 117.00 लाख अवमुक्त किया गया है। सम्बन्धित निर्माण कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक, सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 359/निर्माण 36/7 दिनांक 27-02-2018 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुये अवशेष धनराशि शीघ्र ही अवमुक्त किये जाने की मांग की है। उक्त के क्रम में सूच्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित तत्कालीन भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति ने स्थलीय निरीक्षण करते हुये कुछ कमियां इंगित की थी, जिनके निराकरण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के सापेक्ष उक्त कार्यदायी संस्था ने अपने पत्र संख्या 986/निर्माण-36/32 दिनांक 31-05-2018 के माध्यम से निम्नवत् अवगत कराया है :-

“आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु संख्या- 1,2,3, एवं 4 में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर दिया गया है, तथा बिन्दु संख्या- 05 में प्लास्टर के कार्य की गुणवत्ता मानकानुसार संतोष जनक है। जिसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय के पत्र सं० ओ०यू०/245/2018 दिनांक 16-05-2018 द्वारा नव गठित भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति जिसमें अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद अथवा उनके प्रतिनिधि भी सम्मिलित है, से अगले बैठक में निरीक्षण कराकर प्रेषित करा दी जायेगी।”

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने कार्यदायी संस्था, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये उपभोग प्रमाण पत्र एवं उनके पत्र संख्या

359/निर्माण 36/7 दिनांक 27-02-2018 के आलोक में समयान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध के अनुसार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11. दिनांक 31-05-2018 को उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 31-05-2018 को उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा

संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने दिनांक 31-05-2018 को उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

12. विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहाँ कम्प्यूटर, स्कैनर, इण्टरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 50/- में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05-06-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहाँ कम्प्यूटर, स्कैनर, इण्टरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक

शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 50/- में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05-06-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहाँ कम्प्यूटर, स्कैनर, इण्टरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 50/- में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05-06-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर पंजीकृत शिक्षार्थियों के प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 100/- क्षेत्रीय केन्द्र के खाते में जमा किया जाय एवं व्यय का समायोजन क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

13. क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी की गयी कार्यवाही से अवगत होना

क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उपलब्ध कृषकों के भूमि को खरीदे जाने के सम्बन्ध में भूमि की बाजार दर अथवा जो भी दर नियमानुकूल हो उस दर को सत्यापित कराने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र प्रेषित किये जाने से अवगत होना।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उपलब्ध कृषकों के भूमि को खरीदे जाने के सम्बन्ध में भूमि की बाजार दर अथवा जो भी दर नियमानुकूल हो उस दर को सत्यापित कराने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र प्रेषित किये जाने से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

14. विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के तृतीय तल पर DORMITORY के निर्माण कराए जाने पर विचार

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में आगन्तुकों/उनके साथ आने वाले स्टाफ इत्यादि के रुकने की आवश्यकता के दृष्टिगत अतिथि गृह के तृतीय तल DORMITORY के निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया।

योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि DORMITORY के निर्माण हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

15. विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस वाहन क्रय किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय में परीक्षाओं में प्रयुक्त होने वाले, राजकीय मुद्रणालय से उत्तर पुस्तिकाओं को लाने, उन्हें दूरस्थ अध्ययन केन्द्रों पर पहुँचाने, प्रवेश अनुभाग की सूचना विवरणिकाओं को उत्तर प्रदेश के दूरस्थ अध्ययन केन्द्रों पर प्रेषित करने, विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों हेतु वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, आवश्यकतानुसार पाठ्य-सामग्री को अध्ययन केन्द्रों पर प्रेषित करने आदि कार्य हेतु 01 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस वाहन क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस वाहन क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

16. उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर-4-2018(4)/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सरस्वती परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हॉल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन द्वितीय तल के स्वीकृत मानचित्रों के टायलेट ब्लॉक में आंशिक संशोधन पर विचार

विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वाशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./121/2017 दिनांक 19-04-2017 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किये गये आगणन धनराशि रु. 122.55 लाख को उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-18/2018/515/सत्तर-4-2018-3(4)/2018 दिनांक 26-03-2018 (संलग्नक पृष्ठ संख्या) द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष प्रथम किस्त में धनराशि रु. 61.00 लाख प्रदान की गई है। प्रश्नगत निर्माण कार्य कस्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेस, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जाने हेतु शासन ने निर्देशित किया गया है। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था कस्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेस, यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद से सरस्वती परिसर में ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हाल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण हेतु अनुबंध गठित किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में सरस्वती परिसर में ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हाल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र के वाशरूम (टायलेट ब्लॉक) में शासन द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाना है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर-4-2018(4)/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सरस्वती परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हॉल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन द्वितीय तल के स्वीकृत मानचित्रों के टायलेट ब्लॉक में आंशिक संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 52.04

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को प्रवेश हेतु आधार क्रमांक अनिवार्य न किये जाने पर विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु विदेशी छात्रों के लिए आधार क्रमांक अनिवार्य नहीं होगा अपितु उक्त के स्थान पर प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों के पास पासपोर्ट, NET ID अथवा वैध पहचान-पत्र होना अनिवार्य है जिसकी छाया प्रति प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। विदेशी छात्रों के प्रवेश हेतु इस आशय का संशोधन UMS SOFTWARE PANEL के ADMISSION MANAGEMENT SYSTEM पर भी कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को प्रवेश हेतु आधार क्रमांक सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई



प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

Minutes of Meeting

A meeting of School Board of Studies (School of Science) was held on 10.07.2018 at 11:00 AM in School of Science with reference to letter no. O.U./607/2018 dated 04/07/2018.

The following members were present in the meeting.

1. Prof. (Dr.) Ashutosh Gupta, Director, School of Science
2. Dr. Shruti, Asst. Prof. (Statistics)
3. Ms. Marisha, Asst. Prof. (Computer Science)
4. Mr. Manoj Kumar Balwant, Asst. Prof. (Computer Science)
5. Dr. Dinesh Kumar Gupta, Academic Consultant, Chemistry, (special Invitee)

The following points were discussed and unanimously recommended:

1. The terminal examination of two elective foundation courses namely, 'Foundation Course in Science and Technology (UGFST)' and 'Solid Waste Management (SWM)' shall be based on Multiple Choice Question (MCQ) pattern from academic session 2018-2019.
2. Different terminal question papers shall be prepared for courses that are common in certain certificate, diploma, PG diploma, Under-Graduate and Post-Graduate Programme.

The meeting ended with the vote of thanks.


(Dr. Ashutosh Gupta)

(Dr. Shruti)


(Marisha)


(Manoj K. Balwant)


(Dr. Dinesh Kumar Gupta)

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक : 09.07.2018

मानविकी विद्याशाखा के विषय विशेषज्ञों की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 04.07.2018 को मा. कुलपति जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के अनुक्रम में आज दिनांक 09.07.2018 को निदेशक, मानविकी विद्याशाखा के कक्ष में अपराह्न 01:00 बजे एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे-

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. डॉ० आर.पी.एस.यादव | अध्यक्ष |
| 2. डॉ० विनोद कुमार गुप्त | सदस्य |
| 3. डॉ० साधना श्रीवास्तव | सदस्य |
| 4. डॉ० सतीश चन्द्र जैसल | सदस्य |
| 5. डॉ० स्मिता अग्रवाल | सदस्य |
| 6. डॉ० अतुल कुमार मिश्र | विशेष आमंत्रित सदस्य |

बैठक के प्रारम्भ में निदेशक, ने सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् उक्त विषय पर विचार विमर्श कर समिति ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किया-

1. विद्याशाखा से संबंधित वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न-पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की संस्तुति की (UGFHS, UGFEG & UGFHD)
2. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के संचालित समान पाठ्यक्रम के प्रश्न-पत्रों को अलग-अलग निर्माण किये जाने पर संस्तुति की।

आर.पी.एस. यादव
मान. (डॉ० आर.पी.एस.यादव)
उ०प्र०

इलाहाबाद
(डॉ० सतीश चन्द्र जैसल)

(डॉ० विनोद कुमार गुप्त)

(डॉ० स्मिता अग्रवाल)

(डॉ० साधना श्रीवास्तव)


(डॉ० अतुल कुमार मिश्र)

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक : 09.07.2018

मानविकी विद्याशाखा के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त


आज दिनांक 09.07.2018 को अपरह्न 03:00 बजे निदेशक, मानविकी विद्याशाखा के कक्ष में आयोजित मानविकी विद्याशाखा के स्कूल बोर्ड की सदस्यों की बैठक आहूत की गयी। जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए—


- | | | |
|--|--------------------------|---|
| 1. डॉ० आर.पी.एस.यादव, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा | अध्यक्ष |  |
| 2. डॉ० विनोद कुमार गुप्त, उप निदेशक | सदस्य | |
| 3. डॉ. साधना श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर | सदस्य | |
| 4. डॉ. सतीश चन्द्र जैसल, असिस्टेन्ट प्रोफेसर | विद्यार्थी (अतिथि) सदस्य | |

बैठक के प्रारम्भ में निदेशक, द्वारा सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात सदस्यों ने आज दिनांक 09.07.2018 को अपराह्न 01:00 बजे आयोजित बैठक में विषय-विशेषज्ञों से प्राप्त संस्तुतियों को यथावत स्वीकार किया गया। संस्तुतियाँ संलग्न है।

निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


डॉ० आर.पी.एस.यादव
(डॉ० आर.पी.एस.यादव)


(डॉ० विनोद कुमार गुप्त)


(डॉ० साधना श्रीवास्तव)

मानविकी विद्याशाखा
उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद


(डॉ० सतीश चन्द्र जैसल)

प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 04/07/2018 को अपराह्न 03.00 बजे मा० कुलपति जी की

अध्यक्षता में होने वाली बैठक के प्रमुख बिन्दु :-

- 1 स्नातक एवं परास्नातक स्तर के कार्यक्रमों (सेमेस्टर/वार्षिक) में संचालित अनिवार्य प्रश्न पत्रों में से किसी एक प्रश्न-पत्र की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।
- 2 डिप्लोमा एवं पी. जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

- 3 निम्नवत् वर्णित अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।
अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम (Compulsory Foundation Course)

पेपर नं०	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का नाम/ Title of the Course	क्रेडिट
2700	UGFODL (यू.जी.एफ.ओ.डी.एल.)	मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में आधार पाठ्यक्रम Foundation Course in Open and Distance Education	नॉन क्रेडिट (प्रथम वर्ष में)
012	CHEQ/EA (सी.एच.ई.क्यू./ई.ए.)	पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी अनिवार्य पाठ्यक्रम foundation Course in environment awareness	नॉन क्रेडिट (द्वितीय वर्ष में)
003	UGFIT (यू.जी.एफ.आई.टी.)	सूचना प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम Foundation course in Information technology	नॉन क्रेडिट (तृतीय वर्ष में)

- 4 निम्नवत् वर्णित वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम (Elective Foundation Course)

पेपर नं०	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का नाम/ Title of the Course	क्रेडिट
001	UGFHS (यू.जी.एफ.एच.एस.)	मानविकी एवं समाज विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम Foundation course in Humanities and Social Science	4
002	UGFST (यू.जी.एफ.एस.टी.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम Foundation Course in Science and Technology	4
004	UGFEG (यू.जी.एफ.ई.जी.)	अंग्रेजी में आधार पाठ्यक्रम Foundation Course in English	4
005	UGFHD (यू.जी.एफ.एच.डी.)	हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम Foundation Course in Hindi	4
006	AOCED (ए.ओ.सी.ई.डी.)	निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण Export Procedure and Documentation	4
007	AOCHE (ए.ओ.सी.एच.ई.)	मानव पर्यावरण में आधार पाठ्यक्रम Application Oriented Course in Human Environment	4
008	AOCMK (ए.ओ.सी.एम.के.)	विपणन Marketing	4
009	AOCNC (ए.ओ.सी.एन.सी.)	समुदाय और पोषण में आधार पाठ्यक्रम Application Oriented Course in Nutrition for the Community	4
2701	SWM (एस.डब्ल्यू.एम.)	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन Solid waste Management	4
010	AOCOM (ए.ओ.सी.ओ.एम.)	कार्यालय संगठन एवं प्रबन्धन Office Organization and Mngement	4






उ.प्र राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

दिनांक-06-07-2018


अवगत कराना है कि आज दिनांक 06-07-2018 को अपराह्न 2.30 बजे प्रभारी, समाज विज्ञान विद्याशाखा की अध्यक्षता में स्कूल बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई।


बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए।


- 1- प्रो.सुधांशु त्रिपाठी, प्रभारी समाज विज्ञान विद्याशाखा (अध्यक्ष) 
- 2- डॉ. संतोषा कुमार, एसो. प्रोफेसर, सदस्य 
- 3- श्री सुनील कुमार, एसि. प्रोफेसर, सदस्य 
- 4- डॉ. दीपशिखा श्रीवास्तव, परामर्शदाता (आमन्त्रित सदस्य) 
- 5- श्री रमेश चन्द्र यादव, परामर्शदाता (आमन्त्रित सदस्य) 

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त संग्रहालय विज्ञान में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Museology (PGDM) कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु कार्यक्रम का अवलोकन किया गया एवं इसके संचालन एवं अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय के प्राधिकारी काय परिषद् एवं विद्या परिषद् में संस्तुति किये जाने हेतु कुलसचिव महोदय को प्रेषित करने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।


06/07/18


06/07/18


06/07/18


06/07/18



श्रीरामेन्द्र सिंह

7/7/18

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.एम.)

Post Graduate Diploma in Museology (PGDM)

Name of Programme-	Post Graduate Diploma in Museology
Programme Duration-	Minimum-01 Year / Maximum-03 Year
Nature of Programme-	Annual system
Programme Fee-	6000/-
Minimum Eligibility for Admission	Graduation in any stream
Admission Process-	Open
Medium	हिन्दी/English
Assignment Work	Essential (आवश्यक)

Course Code and Details

Year	Paper No	Course Code	Title of the Course	Credits
One Year		PGDM-01	Introduction to Museum and Museology संग्रहालय का परिचय एवं संग्रहालय विज्ञान	8
		PGDM-02	Documentations, Presentation and Interpretation प्रलेखन, प्रस्तुति और व्याख्या	8
		PGDM-03	Museum Management and Conservation संग्रहालय प्रबंधन और संरक्षण	8
		PGDM-04	Computer application in Museum संग्रहालय में कंप्यूटर अनुप्रयोग	8
		PGDM-05	Museum and Public relation संग्रहालय और जनसंपर्क	8
Total Credits				40

SLM- in beginning books available in the market will be provided as SLM Learner.

Examination- As Per University Norms.

Passing marks-36% marks in external assessment of each paper separately.

Division-I Division-60% or above of the aggregate marks.

II- Division-48% or above but below 60% of the aggregate marks.

III-Division-36% or above but below 48% of the aggregate marks

(A)

(85)

Syllabus

PGDM- 1 : Introduction to Museum and Museology

Unit1-Origin and Definition of Museum, purpose of Museum, scope of Museum.

History of museums / Museum Movement (Indian sub continent)

Unit 2- Various Types of Museums and New Museum trends:

Unit-3- Functions of Museums:

- (a.) Collection
- (b.) Identification
- (c.) Preservation
- (d.) Documentation
- (e.) Presentation (Exhibition)
- (f.) Research
- (g.) Educational activities

Unit-4-Nature of Collections and Modes of Acquisition.

Unit-5- Legislations concerning Museums and Professional Bodies.

Books

1. डॉ.अरविन्द कुमार सिंह, संग्रहालय विज्ञान,म.प्र हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,म.प्र.
2. Jain, Sunjay: Museums Avam Museology : Ek Parichaya (in Hindi) Kanika Prakshan, Baroda, 2001.
3. गिरीश चन्द्र शुक्ल एवं विमिलेश कुमार पाण्डेय,संग्रहालय विज्ञान
4. टी.के. विश्वास, संग्रहालय विज्ञान
5. आर.गणेशन,संग्रहालय विज्ञान
6. Morley, Grace. Museums Today. Department of Museology, Baroda, 1981
7. Bhatnagar, Anupama. Museums, Museology and New Museology. Sundeep Prakashan., New Delhi, 2000
8. Baxi, S. J. and Dwivedi, V. P. Modern Museums. Abhinav Publications, Delhi,1973
9. Dwivedi, V. P. and Pant, G.N. (eds) Museums and Museology: New Horizons. Agam Kala Prakashan, Delhi, 1980
10. Alexander, Edward P. Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums. American Association for State & Local History, 1978

①

②

PGDM-02: Documentation, Presentation and Interpretation:

Unit-1- Documentation:

- (a.) Accessioning.
- (b.) Operation of incoming and outgoing objects
- (c.) Marking and numbering
- (d.) Re-accessioning
- (e.) De-accessioning
- (f.) Daybook
- (g.) Historic file
- (h.) Digital Documentation

Unit-2- General Principles of Presentation: Communicative aspect

- (A). Galleries: Nature and Scope
- (b). Types of exhibition
- (C). Organization of exhibition
- (d). Purpose
- (e). Programming
- (f). Object selection
- (g). Lay-out scale model
- (h). Consideration of audience
- (i). Exhibit texts

Unit-3- Exhibition equipments:

- (a). Show-cases
- (b). Pedestals
- (c). Audio-Visual aids
- (d). Lighting
- (e). Role of designing agencies for high tech display
- (f). Labelling / signage
- (g). Publicity

Unit-4- Principles of design communication and interpretation:

- (a). Exhibitions: Thematic versus integral Geographic versus chronological
- (b). Type of visitors and their behaviour patterns
- (c.) Re-accessioning
- (d.) De-accessioning
- (e.) Daybook
- (f.) Historic file
- (g.) Digital Documentation

Books

11. डॉ.अरविन्द कुमार सिंह, संग्रहालय विज्ञान,म.प्र हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,म.प्र.
12. Jain, Sunjay: Museums Avam Museology : Ek Parichaya (in Hindi) Kanika Prakshan, Baroda, 2001.
13. गिरीश चन्द्र शुक्ल एवं विमिलेश कुमार पाण्डेय,संग्रहालय विज्ञान
14. टी.के. विश्वास, संग्रहालय विज्ञान
15. आर.गणेशन,संग्रहालय विज्ञान
16. Morley, Grace. Museums Today. Department of Museology, Baroda, 1981
17. Bhatnagar, Anupama. Museums, Museology and New Museology. Sundeep Prakashan., New Delhi, 2000
18. Baxi, S. J. and Dwivedi, V. P. Modern Museums. Abhinav Publications, Delhi, 1973
19. Dwivedi, V. P. and Pant, G.N. (eds) Museums and Museology: New Horizons. Agam Kala Prakashan, Delhi, 1980
20. Alexander, Edward P. Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums. American Association for State & Local History, 1978

GA

SIS

Unit-1- Location and Surrounding of Museums

- (a.) Selection of site
- (b.) Surrounding
- (c.) Use of space, design
- (d.) Planning
- (e.) Construction of museum
- (f.) Special Problems (war, flood, fire & earth quake etc.)
- (g.) Contact with professional agencies.

Unit -2- Administration Frame work:

- (a.) Principles
- (b.) Legal status
- (c.) Administrative units
- (d.) Controlling bodies
- (e.) Committee
- (f.) Role of Director
- (g.) Appointment of museum personnel and their duties

Policy of Museum and Work Planning

- (a.) Planning
- (b.) Collection Insurance
- (c.) Annual Report
- (d.) Museum storage including visual storage

Unit-3- Museum Marketing:

- (a.) Concept
- (b.) Scope
- (c.) Implementation
 - Budget:
 - (a.) Sources of income
 - (b.) Budget

GA

SB

Conservation

Unit-4-. General Principles of Conservation:

(a.) Preventive measures

(b.) Curative measures

Analysis of collected materials and preventive conservation

(a.) Organic and inorganic objects

(b.) Physical, chemical and biological changes – glass, metal, painting, paper, stone, textile, wood and miscellaneous material

(c.) Basic preventive conservation – cleaning and simple treatment

(d.) Causes of deterioration

Unit-5-. Preservation of Museum objects:

(a.) Restoration

(b.) Temperature

(c.) Humidity

(d.) Pollution

(e.) Effects of light, mold, mildew insects etc.

(f.) Emergency conservation/first aid.

(g.) Proper environmental condition – exhibits, storage, travelling exhibits.

Care and Handling of Museum Objects:

(a.) Movement – crating and packing

(b.) Proper mounting

Basic Infrastructure of a Museum's Conservation.

Books

1. डॉ.अरविन्द कुमार सिंह, संग्रहालय विज्ञान,म.प्र हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,म.प्र.
2. Jain, Sunjay: Museums Avam Museology : Ek Parichaya (in Hindi) Kanika Prakshan, Baroda, 2001.
3. गिरीश चन्द्र शुक्ल एवं विमिलेश कुमार पाण्डेय,संग्रहालय विज्ञान
4. टी.के. विश्वास, संग्रहालय विज्ञान
5. आर.गणेशन,संग्रहालय विज्ञान
6. Morley, Grace. Museums Today. Department of Museology, Baroda, 1981
7. Bhatnagar, Anupama. Museums, Museology and New Museology. Sundeep Prakashan., New Delhi, 2000
8. Baxi, S. J. and Dwivedi, V. P. Modern Museums. Abhinav Publications, Delhi,1973
9. Dwivedi, V. P. and Pant, G.N. (eds) Museums and Museology: New Horizons. Agam Kala Prakashan, Delhi, 1980
10. Alexander, Edward P. Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums. American Association for State & Local History, 1978

PGDM – 04: Computer Application in Museum:

Unit-1. Computer in museums.

Unit-2. Use of computer in exhibition designing/exhibits.

Unit-3. Use of different software, websites, multimedia etc.

Unit-4. Retrievable of information about important museums of the world.

Unit-5. Communication through E-mail and conferencing about the museums and its activities of the world.

Books

1. डॉ.अरविन्द कुमार सिंह, संग्रहालय विज्ञान,म.प्र हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,म.प्र.
2. Jain, Sunjay: Museums Avam Museology : Ek Parichaya (in Hindi) Kanika Prakshan, Baroda, 2001.
3. गिरीश चन्द्र शुक्ल एवं विमिलेश कुमार पाण्डेय,संग्रहालय विज्ञान
4. टी.के. विश्वास, संग्रहालय विज्ञान
5. आर.गणेशन,संग्रहालय विज्ञान
6. Morley, Grace. Museums Today. Department of Museology, Baroda, 1981
7. Bhatnagar, Anupama. Museums, Museology and New Museology. Sundeep Prakashan., New Delhi, 2000
8. Baxi, S. J. and Dwivedi, V. P. Modern Museums. Abhinav Publications, Delhi,1973
9. Dwivedi, V. P. and Pant, G.N. (eds) Museums and Museology: New Horizons. Agam Kala Prakashan, Delhi, 1980
10. Alexander, Edward P. Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums. American Association for State & Local History, 1978

①

②

PGDM – 05: Museum and Public Relation:

Unit-1- General Principles.

Unit-2- Press Release news stories and promotional activities involving newspaper, magazine, cable network, television and video films.

Unit-3- Museum as Public Facilities:

Access to the museum parking facilities, public transportation, information for visitors (Printed), Guided tours, audio – visual aids, language considerations etc.

Unit-4- Types of Facilities:

(a.) Book shops, sales counters, plaster-cards, folders, post-cards etc.

(b.) Auditorium, lecture room, music theatre.

Unit-5- Comfort of Visitors:

(a.) Seats, coffee shops, restaurants, facility for challenged visitors.

(b.) Membership organization and friends of the museum.

(c.) Docent Service.

Books

1. डॉ.अरविन्द कुमार सिंह, संग्रहालय विज्ञान,म.प्र हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,म.प्र.
2. Jain, Sunjay: Museums Avam Museology : Ek Parichaya (in Hindi) Kanika Prakshan, Baroda, 2001.
3. गिरीश चन्द्र शुक्ल एवं विमिलेश कुमार पाण्डेय,संग्रहालय विज्ञान
4. टी.के. विश्वास, संग्रहालय विज्ञान
5. आर.गणेशन,संग्रहालय विज्ञान
6. Morley, Grace. Museums Today. Department of Museology, Baroda, 1981
7. Bhatnagar, Anupama. Museums, Museology and New Museology. Sundeep Prakashan., New Delhi, 2000
8. Baxi, S. J. and Dwivedi, V. P. Modern Museums. Abhinav Publications, Delhi,1973
9. Dwivedi, V. P. and Pant, G.N. (eds) Museums and Museology: New Horizons. Agam Kala Prakashan, Delhi, 1980
10. Alexander, Edward P. Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums. American Association for State & Local History, 1978

GA

SB -

शिक्षा विद्याशाखा के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 09-07-2018 का कार्यवृत्त

स्थान :- निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा कक्षा

दिनांक :- 09-07-2018

समय :- 11:00 A.M

उपस्थिति :-

- (i) प्रो० पी० के० पाण्डेय — अध्यक्ष ✓
- (ii) डॉ० जी० के० द्विवेदी — सदस्य
- (iii) डॉ० दिनेश सिंह — सदस्य ✓

कार्यवृत्त

सर्वप्रथम प्रो० पी० के० पाण्डेय ने स्कूल बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित बी०एड० एवं बी०एड० (विशेष शिक्षा) कार्यक्रमों के अधिन्यास प्रश्न पत्रों एवं स्वअध्ययन सामग्री के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने का अनुरोध किया। उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने गहन विचार-विमर्श किया तथा निम्नलिखित संस्तुतियों की-

(1) बी०एड० कार्यक्रम के Revised Ordinance के विनु सं- VI के उपविनु 5(e) के अनुसार प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए दो अधिन्यास (at least two assignments in each theory paper) का प्रावधान है। उक्त प्रावधान को निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है-

विनु	विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश में प्रावधान	संशोधन हेतु प्रस्तावित प्रावधान
VI- Programme Structure/Examination	5(e) - Assignments (at least two assignments in each theory paper)	Assignments in each theory paper


(2) बी०एड० (विशेष शिक्षा) के Revised ordinance for the Degree of Bachelor of Education Special Education (B.Ed. Sp. Ed. Ord.) के विनु सं- VII के उपविनु 5(e) के अनुसार प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए दो अधिन्यास (at least two assignments in each theory paper) का प्रावधान है। उक्त प्रावधान को निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है-


विनु	विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश में प्रावधान	संशोधन हेतु प्रस्तावित प्रावधान
VIII Programme Structure/Examination	5(e) 90 Assignments (at least two assignments in each theory paper)	Assignments in each theory paper

(3) B.Ed. SE-07 प्रश्न पत्र शीर्षक 'Inclusive Education' की स्व अध्ययन सामग्री की समस्त 09 इकाइयों की अध्ययन सामग्री को B.Ed. E-07 प्रश्न पत्र शीर्षक 'Creating an Inclusive School' की स्व अध्ययन सामग्री हेतु यथावत उपयोग करते हुए B.Ed. E-07 की शेष अन्य इकाइयों का ही लेखन कार्य कराया जाये।

(4) कार्यवृत्त के उपरोक्तांकित विद्यु सं० 01 एवं 02 के सक्षम स्तर से स्वीकृति की दशा में बी०एड० एवं बी०एड० (विशेष शिक्षा) कार्यक्रम के प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र हेतु एक अधिव्यास प्रश्न पत्र की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना उपयुक्त होगा।

धन्यवाद स्नापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


09/07/18
(प्रो० पी०के० पाण्डेय)


09/07/2018
(डॉ० अनीश सिंह)

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 06/07/2018 को सायं 4:00 बजे, निदेशक स्वा०वि०वि० शाखा कक्ष में सम्पन्न हुयी। जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे-

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ला, | निदेशक, (स्वास्थ्य वि०वि० शाखा) |
| 2. डॉ. आर.पी.एस. यादव | निदेशक, मानविकी वि० शाखा |
| 3. डॉ. मीरा पाल | असिस्टेंट प्रोफेसर (स्वास्थ्य वि०वि० शाखा) |
| 4. श्री अमित कुमार सिंह | योग परामर्शदाता (स्वास्थ्य वि०वि० शाखा) |


निदेशक महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का औपचारिक स्वागत करते हुये बैठक का प्रारंभ किया। बैठक में सर्वसम्मति से वर्तमान समय में योग के प्रायोगिक परीक्षाओं को छात्रों हेतु अधिक सहज एवं सुगम बनाने हेतु अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों को यथावत स्वीकार कर लिया गया।


प्रो (डॉ.) जी०एस० शुक्ल

धन्यवाद।


डॉ. आर०पी०एस० यादव

डॉ. मीरा पाल 

श्री अमित कुमार सिंह 

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that the records should be kept in a secure and accessible format. Regular backups are recommended to prevent data loss in the event of a system failure or disaster.

In addition, the document highlights the need for consistent data entry. Any discrepancies or errors should be identified and corrected immediately. This helps in maintaining the integrity of the information and prevents the accumulation of mistakes over time.

The second part of the document provides a detailed overview of the current status of the project. It includes a summary of the progress made to date, as well as a list of the remaining tasks and their estimated completion dates.

It is also mentioned that the project is on track and that the team is working hard to ensure that all deliverables are met on time. The document concludes with a statement of confidence in the team's ability to complete the project successfully.

The final section of the document contains a list of references and a bibliography. These sources provide additional information and support for the data and conclusions presented in the report.

The document is signed by the project manager, who is responsible for the overall management and execution of the project. The signature and date are provided at the end of the report.

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

स्कूल बोर्ड

आज दिनांक 11/07/2018 को अपराह्न 04:00 बजे कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत नये कार्यक्रम संचालित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु स्कूल बोर्ड की बैठक शैक्षणिक परिसर में निदेशक कृषि विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में आयोजित की गयी-

सर्वप्रथम निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित दो कार्यक्रमों PGDAE and MSAE (संलग्न-1) में कतिपय संशोधन किये तथा दो नये कार्यक्रमों (PGDAEC and MSAEC) (संलग्न-2) संचालित करने की संस्तुति की-

संशोधित कार्यक्रम-

1. Post Graduate Diploma in Agricultural Extension (PGDAE)
2. M.Sc. in Agricultural Extension (MSAE)


नये कार्यक्रम-

1. PG Diploma in Agricultural Economics (PGDAEC)
2. M.Sc. in Agricultural Economics (MSAEC)

अन्त में सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


11.7.18

(प्रो. पी.पी. दुबे)
निदेशक
कृषि विज्ञान विद्याशाखा


11/7/18

(प्रो.आमजी गुप्ता)
निदेशक
प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा


11.7.18

(प्रो.आर.पी.एस.यादव)
निदेशक
मानविकी विद्याशाखा

Ordinance
for
Post Graduate Diploma in Agricultural Extension (PGDAE)

1. **Programme Name** : Post Graduate in Agricultural Extension (PGDAE)
2. **Programme Duration** : Minimum 01 Year Maximum 03 Year
3. **Nature of Programme** : Semester System
4. **Programme Fee** : 8000/- + 200 = 8200/= *rw*
5. **Eligibility for Admission** : **Graduate in** Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Animal Sciences, Veterinary Sciences, Agricultural Engineering, Agri-business Management, Agricultural Biotechnology, Food Sciences and Technology, Home Sciences, Information Communication Technology in Agriculture and Other Allied & Applied Agricultural Sciences listed in purview of Agricultural Universities and Open Universities in India.
6. **Admission Procedure** : Open
7. **Medium** : English
8. **Objectives:** The basic objective of programs in Agricultural Extension is to develop Scientific and Research minded Human Resource, personnel to handle new challenges of using Information Communication Technologies in Agricultural Development, while working in the Department of Agriculture, KrishiVigyanKendras, ZillaParishads, Nationalized Banks, Rural Development Banks, Non Governmental Organizations, State Agricultural Universities and the other stake holders.
9. **Programme Structure** : This Program has been prepared in accordance with the norms set by the university under **CBCS System**. Work with Credit Points and Academic Work Load is given below. It will be of four semesters consisting of three Components viz; Course Work and Project Work (Field Work) with a total 48 credits. The structure of Core Courses, Elective courses and Project

Course Design will be such as decided by the board of studies time to time.

Duration	Course Code	Title of the Course	
Semester - I	PGDAE-01	Principles and Practices in Distance Education	8
	PGDAE-02	Agricultural Extension and Farm Journalism	8
	PGDAE-03	Agricultural communication and Mass Media	8
	Total Credits		24
Semester - II	PGDAE -04	Agricultural Information Technology	8
	PGDAE-05	Research Methods & Statistical Analysis	8
	PGDAE-06	Project Work (Field Work)	8

M
11.7.18

G
11.7.18

102
11/7/18

Total Credits	24
Total Credits in both the semesters	48

10. **SLM:** SLM will be provided by the university to the learners. Online links will also be made available for further references.
11. **Examination:** As per University norms
12. **External Assessment:** In theory 70% weightage will be given through Terminal examination and 30% through Assignment. In Research work equal weightage (50% each) will be given through its internal and external evaluations of the Dissertation/Thesis.

II Division – 48 % or above but below 60 % of the aggregate marks.
III Division – 36 % or above but below 48 % of the aggregate marks.

[Handwritten signature]
11.7.18

[Handwritten signature] 11/7/18

**Ordinance
for
M. Sc. in Agricultural Extension (MSAE)
(Total 96 Credits)**

1. **Programme Name** : Post Graduate in Agricultural Economics (PGDAEC)
2. **Programme Duration** : Minimum 01 Year Maximum 03 Year
3. **Nature of Programme** : Semester System
4. **Programme Fee** : 6000/- per annum + 200 = 6,200/- p.a. *MM*
5. **Medium** : English
6. **Admission Eligibility and Process:** Graduate in Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Animal Sciences, Veterinary Sciences, Agricultural Engineering, Agri-Business Management, Agricultural Biotechnology, Food Sciences & Technology, Home Sciences, Information Communication Technology in Agriculture and Other Allied subjects.
7. **Admission Procedure** : Through Entrance examination. Provision of lateral entry in second year is also there for those who have successfully completed PGDAE from UPRTOU, Allahabad subject to the clearance of entrance test but they have to offer the courses/papers they did not offered in their PG Diploma programme. *except project work. MM*
8. **Objectives:** The basic objective of programs in Agricultural Extension is to develop Scientific and Research minded Human Resource, personnel to handle new challenges of using Information Communication Technologies in Agricultural Development, while working in the Department of Agriculture, KrishiVigyanKendras, ZillaParishads, Nationalized Banks, Rural Development Banks, Non Governmental Organizations, State Agricultural Universities and the other stake holders.
9. **Programme Structure:** This Program has been prepared in accordance with the norms set by the university under **CBCS System**. It will be of four semesters consisting of two Components viz; Course Work and Research Thesis/Dissertation with a total 96 credits. The structure of Core Courses, Elective courses and Master's Research Thesis/Dissertation with Credit Points and Academic Work Load is given below.

Semester	Paper No.	Course Code	Title of the Course	Credits	Compulsor Elective
Semester-I	Compulsory Core Courses				
	I	MSAE-01	Fundamentals of Extension Education	08	Compulsory
	II	MSAE-02	Agricultural Extension and Farm Journalism	08	
	III	MSAE-03	Agricultural communication and Mass Media	08	
Total Credits of Semester-I				24	
Semester-II	Compulsory Core Courses				
	IV	MSAE-04	Agricultural Information Technology	08	Compulsory
	V	MSAE-05	Principles and Practices in Distance Education	08	
	VI	MSAE-06	Research Methods & Statistical Analysis	08	
Total Credits of Semester-II				24	

MM
11.7.18 *GS* 105 *Aug*

Semester – III	Compulsory Core Courses (Research Work)				
	VII	MSAE-08 [@]	Dissertation/Master's Research work	24	Compulsory
	Foundation Courses (select either of the followings)				
	VIII		Gandhian Studies and Peace Education or Human Rights and Duties	Non Credit	Compulsory Foundation Course
Total Credits of Semester-III				24	
Semester – IV	Compulsory Core Courses				
	IX	MSAE-07	ICT in Agricultural Development	08	Compulsory
	Open Elective Course (select either of the followings)				
	X	MJ-01 or PGDRJMC-04	Mass Communication and Journalism: Nature and Principles or Various Dimensions of Rural Journalism	08	Elective
	Discipline Centric Elective Course (select either of the followings)				
	XI	MASY-08 or PGDPM-05	Rural Society in India or Production Management	08	Elective
Total Credits of Semester-III				24	
Total Credits of In all the Semesters				96	

Note: for MSAE-08[@] the Master's Research Work will start from the beginning of third semester or before that but the Dissertation/Thesis will be submitted for evaluation at the end of the second and the fourth semesters or so respectively. The Master's Research/Dissertation Guide shall strictly be the approval of the councilor of the related Study Center. A copy of the synopsis bearing the names of the student and his guide and duly forwarded by Principal/Coordinator of the Study Center be sent to the office of Director, School of Agricultural Sciences for getting approval. The study centre center should assure to dispatch the entire Master's Research Synopses by the beginning of third semester.

10. SLM: SLM will be provided by the university to the learners. Online links will also be made available for further references.

11. Examination: As per University norms

12. External Assessment: In theory 70% weightage will be given through Terminal examination and 30% through Assignment. In Research work equal weightage (50% each) will be given through its internal and external evaluations of the Dissertation/Thesis.

Handwritten signature
11.7.18

Handwritten initials

Handwritten signature

106

**Ordinance
for**

**PG Diploma in Agricultural Economics (PGDAEC)
(Total 48 Credits)**

1. **Programme Name** : Post Graduate in Agricultural Economics (PGDAEC)
2. **Programme Duration** : Minimum 01 Year Maximum 03 Year
3. **Nature of Programme**: Semester System
4. **Programme Fee** : 8000/- + 200 = 8200/- *11/11*
5. **Medium** : English
6. **Eligibility for Admission** : Graduate in Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Animal Sciences, Veterinary Sciences, Agricultural Engineering, Agri-business Management, Agricultural Biotechnology, Food Sciences and Technology, Home Sciences, Economics or Other Allied & Applied Agricultural Sciences listed in purview of Agricultural Universities and Open Universities in India.
7. **Admission Procedure** : Open

8. **Objectives:** The basic objective of this program in Agricultural Economics is to develop Scientific and Research minded Human Resource, personnel to handle new challenges and equip learners with the essential tools required for theoretical and empirical economic analysis, particularly in relation to the renewable natural resources sector. It aims to equip students with the rigorous technical skills that are generic to the field of agricultural economics, while maintaining a focus on applications rather than abstract analysis. Students are able to take modules orientated towards development, production, marketing, policy, and economic transition. The programme is designed for those who wish to pursue a career as an agricultural economist or to undertake higher studies within this area. The programme will facilitate the development of:

- an extended knowledge of contemporary economic theory;
- the skills to analyse problems concerning choice and resource allocation on national and international markets;
- the ability to access and synthesise the relevant economic literature to undertake further research or study in the field of agricultural economics;
- the skills to communicate the results of economic analysis to interested parties.

9. **Programme Structure:** This Program has been prepared in accordance with the norms set by the university under **CBCS System**. It will be of four semesters consisting of three Components viz; Course Work and Project Work (Field Work) with a total 48 credits. The structure of Core Courses, Elective courses and Project Work with Credit Points and Academic Work Load is given below.

Semester	Paper No.	Course Code	Title of the Course	Credits	Core/Elective
----------	-----------	-------------	---------------------	---------	---------------

107

11/11
11.7.18

Semester-I	I	^{PGD} MSAEC-01	Economic Principles in Relation to Agriculture	08	Core Course
	II	^{PGD} MSAEC-02	Agricultural production Economics and Farm Management	08	Core Course
	III	^{PGD} MSAEC-03	Agricultural Marketing and Price Analysis	08	Core Course
Total Credits of Semester-I				24	
semester-II	IV	^{PGD} MSAEC-04	Agricultural Finance and Co-operation	08	Core Course
	V	MASY-08 or PGDPM-05	Rural Society in India or Production Management	08	Elective Course
	VI	PGDAEC-06 [®]	Project Work	08	Compulsory
	Total Credits of Semester-II				24
Total Credits of In all the Semesters				48	

Note: for PGDAEC-06 the Project Work will start in the beginning of the first semester but the Report will be submitted for evaluation at the end of the second semesters. The Master Level Project Guide shall strictly be the approved councilor of the related Study Center. A copy of the synopsis bearing the names of the student and his guide and duly forwarded by Principal/Coordinator of the Study Center be sent to the office of Director, School of Agricultural Sciences for getting approval. The study center should assure to dispatch the entire Project synopsis by the end of first semester.

10.SLM- SLM will be provided by the university to the learners. Online links will also be made available for further references.

11.Examination: As per University norms

12.External Assessment: In theory 70% weightage will be given through Terminal examination and 30% through Assignment. In Projectwork equal weightage (50% each) will be given through external and internal evaluation of the Project Report.

Handwritten signature
11.7.18
Handwritten signature

Ordinance
for
M. Sc. in Agricultural Economics (MSAEC)
(Total 96 Credits)

1. **Programme Name** : Post Graduate in Agricultural Economics (PGDAEC)
2. **Programme Duration** : Minimum 01 Year Maximum 03 Year
3. **Nature of Programme** : Semester System
4. **Programme Fee** : 5000/- per annum + 2000 = 6200/- p.a. *MM*
5. **Medium** : English
6. **Eligibility for Admission** : **Graduate** in Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Animal Sciences, Veterinary Sciences, Agricultural Engineering, Agri-business Management, Agricultural Biotechnology, Food Sciences and Technology, Home Sciences, Economics or Other Allied & Applied Agricultural Sciences listed in purview of Agricultural Universities and Open Universities in India.
7. **Admission Procedure** : Through Entrance examination. Provision of lateral entry in second year is also there for those who have successfully completed PGDAEC from UPRTOU, Allahabad subject to the clearance of entrance test but they have to offer the courses/papers they did not offered in their PG Diploma programme. *except project work MM*
8. **Objectives:** The basic objective of this program in Agricultural Economics is to develop Scientific and Research minded Human Resource, personnel to handle new challenges and equip learners with the essential tools required for theoretical and empirical economic analysis, particularly in relation to the renewable natural resources sector. It aims to equip students with the rigorous technical skills that are generic to the field of agricultural economics, while maintaining a focus on applications rather than abstract analysis. Students are able to take modules orientated towards development, production, marketing, policy, and economic transition. The programme is designed for those who wish to pursue a career as an agricultural economist or to undertake higher studies within this area. The programme will facilitate the development of:
 - an extended knowledge of contemporary economic theory;
 - the skills to analyse problems concerning choice and resource allocation on national and international markets;
 - the ability to access and synthesise the relevant economic literature to undertake further research or study in the field of agricultural economics;
 - the skills to communicate the results of economic analysis to interested parties.
9. **Programme Structure:** This Program has been prepared in accordance with the norms set by the university under **CBCS System**. It will be of four semesters consisting of three Components viz; Course Work and Research Work with a total 96 credits. The structure of Core Courses, Elective courses and Research Work with Credit Points and Academic Work Load is given below.

Semester	Paper No.	Course Code	Title of the Course	Credits	Core/ Elective
Semester-I	I	MSAEC -01	Economic Principles in Relation to Agriculture	08	Core Course

109

MM
11.7.18
Gov
Any

	II	MSAEC -02	Agricultural Production Economics and Farm Management	08	Core Course
	III	MSAEC -03	Agricultural Marketing and Price Analysis	08	Core Course
Total Credits of Semester-I				24	
Semester-II	IV	MSAEC -04	Agricultural Finance and Co-operation	08	Core Course
	V	MSAEC-05	Agricultural Statistics and Computer Applications	08	Core Course
	VI	MSAEC-06	Research Methods & Statistical Analysis	08	Core Course
Total Credits of Semester-II				24	
Semester - III	VII	MSAEC-07 [@]	Dissertation/Master's Research work	24	Compulsory
	VIII	PGFGS Or PGFHR	Gandhian Studies and Peace Studies or Human Rights and Duties	Non Credit	Compulsory Foundation Course
Total Credits of Semester-III				24	
Semester - IV	IX	MSAEC-08	Agricultural Project evaluation	08	Core Course
	X	MSAEC-09 or MSAEC-10	Rural Marketing or Linear Programming	08	Elective-01 (From own discipline)
	XI	MASY-08 or PGDPM-05	Rural Society in India or Production Management	08	Elective-02 (From other Related Discipline)
Total Credits of Semester-IV				24	
Total Credits of In all the Semesters				96	

Note: for MSAEC-07 the Master's Research Work will start from the beginning of third semester or before but the Dissertation/Thesis will be submitted for evaluation at the end of the fourth semesters. The Master's Research/Dissertation Guide shall strictly be the approved councilor of the related Study Center. A copy of the synopsis bearing the names of the student and his guide and duly forwarded by Principal/Coordinator of the Study Center be sent to the office of Director, School of Agricultural Science for getting approval. The study center should assure to dispatch the entire Master's Research Synopsis by the beginning of third semester.

10. **SLM:** SLM will be provided by the university to the learners. Online links will also be made available for further references.
11. **Examination:** As per University norms
12. **External Assessment:** In theory 70% weightage will be given through Terminal examination and 30% through Assignment. In Research work equal weightage (50% each) will be given through its internal and external evaluations of the Dissertation/Thesis.

110

[Handwritten Signature]
11.7.18
[Handwritten Signature]

